

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजापत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर 2017—कार्तिक 12, शक 1939

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

क्र. ई-5-522-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रभार श्री मनोज गोविल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित को तथा संस्कृति विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन का प्रभार श्री व्ही. सी. सेमवाल, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग को तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व को प्रभार श्री अरुण कुमार पाण्डे, भाप्रसे, राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(2) श्री मनोज श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रभार श्री मनोज गोविल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित को तथा संस्कृति विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन का प्रभार श्री व्ही. सी. सेमवाल, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग को तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व का प्रभार श्री अरुण कुमार पाण्डे, भाप्रसे, राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश

शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त-सह संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(4) श्री मनोज श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त-सह संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज गोविल, भाप्रसे, श्री व्ही. सी. सेमवाल, भाप्रसे एवं श्री अरूण कुमार पाण्डे, भाप्रसे उनको सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनोज श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2017

क्र. ई-5-612-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनु श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग तथा विकास-सह-आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय उर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम को दिनांक 13 से 24 अक्टूबर 2017 तक बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग तथा विकास-सह-आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय उर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-851-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. बी. ओझा, आयएएस., आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन को दिनांक 20 से 25 नवम्बर 2017 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 एवं 26 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. बी. ओझा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. बी. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-353-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थि किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री वीरेन्द्र सिंह रावत (2008) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर।	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय।
2	श्री अनिल कुमार खेरे (2010) अपर कलेक्टर, पन्ना	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय।

क्र. ई-1-357-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थि किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा (2003) अपर आयुक्त (राजस्व), नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद।	अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल संभाग, भोपाल।
2	श्री नरेन्द्र सिंह परमार (2004) अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल संभाग, भोपाल।	अपर आयुक्त (राजस्व), नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद।

(इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1/355/2017/5/एक, दिनांक 5-10-2017 द्वारा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय के पद पर किए गए पदस्थापना आदेश को एतद्वारा संशोधित करते हुए)।

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. ई-5-425-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज गोयल, आयएएस., अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 26 से 31 अक्टूबर 2017 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-840-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. एन. रूपला, आयएएस., कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को दिनांक 13 से 22 नवम्बर 2017 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री एस. एन. रूपला की अर्जित अवकाश अवधि में श्री एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, ग्वालियर संभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. रूपला को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन कमिश्नर, ग्वालियर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. एन. रूपला द्वारा कमिश्नर, ग्वालियर संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे, आयुक्त, ग्वालियर संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. एन. रूपला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एन. रूपला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2017

क्र. ई-5-613-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस., पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2017 द्वारा

दिनांक 25 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2017 तक सैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, मैं, आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 10 से 31 अक्टूबर 2017 तक बाईस दिन का संशोधन/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

क्र. ई-5-954-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार शर्मा, आयएएस., अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर को दिनांक 20 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2017 तक बारह दिन तथा दिनांक 22 से 23 दिसम्बर 2017 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 नवम्बर 2017 एवं 2, 3 दिसम्बर 2017 तथा दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2017

क्र. ई-5-789-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिवानंद दुबे, आयएएस., कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार) को दिनांक 23 से 28 अक्टूबर 2017 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 एवं दिनांक 29 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री शिवानंद दुबे की अवकाश अवधि में श्री शिव नारायण रूपला, भाप्रसे (2000) आयुक्त, ग्वालियर संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शिवानंद दुबे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री शिवानंद दुबे द्वारा कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवनारायण रूपला, कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री शिवानंद दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवानंद दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) डॉ. मनोज गोविल, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम को नियमानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 16 से 18 अक्टूबर 2017 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश।

2. हावर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका में दिनांक 21 से 27 अक्टूबर 2017 तक आयोजित विदेश प्रशिक्षण में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 28 से 31 अक्टूबर 2017 तक चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोज गोविल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. मनोज गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोज गोविल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-983-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री साकेत मालवीय, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट जिला अलीराजपुर को दिनांक 16 से 28 अक्टूबर 2017 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 29 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री साकेत मालवीय, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट जिला अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री साकेत मालवीय, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साकेत मालवीय, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्र. ई-5-483-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. के. सिंह, आयएएस. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, को दिनांक 8 से 15 नवम्बर 2017 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2017

क्र. ई-5-902-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रजनीश श्रीवास्तव, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 12 से 20 दिसम्बर 2017 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रजनीश श्रीवास्तव, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर सचिव, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रजनीश श्रीवास्तव, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1017-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मृणाल मीना, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ जिला मुरैना को दिनांक 6 से 15 नवम्बर 2017 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 5 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मृणाल मीना, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मृणाल मीना, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मृणाल मीना, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2017

क्र. ई-1-364-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता हैः—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती रेणु पंत (2000) आयुक्त (फील्ड), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर.	आयुक्त-सह-संचालक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ (अतिरिक्त प्रभार).	—
2	श्री आशुतोष अवस्थी (2001) आयुक्त-सह-संचालक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ (अतिरिक्त प्रभार).	कमिशनर सागर संभाग, सागर	—
3	श्री अक्षय कुमार सिंह (2010) महाप्रबंधक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल.	संचालक, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना.	उपसचिव मध्यप्रदेश शासन

(2) उपरोक्तानुसार श्री अक्षय कुमार सिंह, भाप्रसे (2010) द्वारा संचालक, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज श्रीवास्तव, भाप्रसे (1987), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, संस्कृति विभाग, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन (अतिरिक्त प्रभार) तथा आयुक्त-सह-संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान एवं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त-सह-संचालक, संस्कृति एवं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(3) श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(4) उपरोक्तानुसार श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे (1990) द्वारा संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का प्रभार ग्रहण करने पर श्री अशोक शाह, भाप्रसे (1990), मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण (अतिरिक्त प्रभार) एवं संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान केवल संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) उपरोक्तानुसार श्री आशुतोष अवस्थी, भाप्रसे (2001) द्वारा कमिशनर, सागर संभाग, सागर का प्रभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, भाप्रसे (2003), अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर तथा कमिशनर सागर संभाग, सागर (अतिरिक्त प्रभार) केवल कमिशनर, सागर संभाग, सागर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(6) श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे (2009) अपर संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक आयुक्त (फील्ड), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2017

क्र. ई-1-350-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है:

क्र. अधिकारी का नाम एवं नवीन पदस्थापना  
वर्तमान पदस्थापना

(1)	(2)	(3)
1 डॉ. रामराव भोंसले (2007), कलेक्टर, नरसिंहपुर.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	कलेक्टर, नरसिंहपुर
2 श्री अभय कुमार वर्मा (2007) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा पर्यटन विभाग एवं उपायुक्त, पर्यटन (अतिरिक्त प्रभार).		

(2) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/07/2012-एआईएस-1, दिनांक 1 जून 2017 द्वारा श्री एस. विश्वनाथन, भाप्रसे (2008) की सेवाएं असम-मेघालय संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल पदस्थ किया जाता है।

(3) श्री एस. विश्वनाथन द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे (1994), आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(4) उपरोक्त पद-2 के अनुक्रम में श्री एस. विश्वनाथन, भाप्रसे (2008) द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2017

क्र. ई-5-810-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती पुष्पलता सिंह, आयएएस., आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन को दिनांक 24 से 28 अक्टूबर 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ

दिनांक 29 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती पुष्पलता सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे, आयुक्त, महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पुष्पलता सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती पुष्पलता सिंह, द्वारा आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जयश्री कियावत, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती पुष्पलता सिंह को अवकाश वेतन एवं भता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पुष्पलता सिंह, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-709-आयएएस-लीव-5-(एक).—(1) सुश्री ऋजु बाफना, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला-सिवनी को दिनांक 23 से 28 अक्टूबर 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 एवं 29 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री ऋजु बाफना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सहायक कलेक्टर, जिला-सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री ऋजु बाफना को अवकाश वेतन एवं भता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ऋजु बाफना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1006-आयएएस-लीव-5-(एक).—(1) श्रीमती मंजू शर्मा, आयएएस., अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 2 जनवरी 2018 तक, आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त

अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मंजू शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती है।

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

क्र. ई-1-366-2017-5-एक.—श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे (2014), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोहरी जिला शिवपुरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), करेंग जिला शिवपुरी पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-5-476-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विकास-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2017 एवं दिनांक 11 अक्टूबर 2017 द्वारा दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2017 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 13 से 18 अक्टूबर 2017 तक छः दिन का संशोधन/पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 21, 22 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 20 अक्टूबर 2017 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर एवं दिनांक 11 अक्टूबर 2017 अनुसार यथावत्।

क्र. ई-5-479-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 25, 26 एवं 27 सितम्बर 2017 कुल तीन दिन के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को परिवर्तित कर उक्त अवधि का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2017

क्र. ई-5-486-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 13 से 17 नवम्बर 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 9 से 17 नवम्बर 2017 तक नौ दिन का पुनरीक्षित/संशोधित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी. सी. मीना, भाप्रसे, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-522-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग तथा संस्कृति एवं धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त-सह संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान तथा मुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2017 द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2017 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-993-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, आयएएस., कलेक्टर जिला मंदसौर को दिनांक 7 से 17 नवम्बर 2017 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 नवम्बर 2017 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में डॉ. पंकज जैन, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंदसौर को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला मंदसौर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर जिला मंदसौर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. पंकज जैन, भाप्रसे कलेक्टर, जिला मंदसौर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव।**

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2017

क्र. 3362-4061-2017-एक-4.—राज्य शासन एतद्वारा विधान सभा क्षेत्र 61-चित्रकूट (जिला सतना) के उप चुनाव 2017 के लिये शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मतपत्रों की छपाई एवं अन्य मुद्रण से संबंधित कार्य आदि की देखेख/समन्वय के लिये उपायुक्त (राजस्व) भोपाल को उप चुनावों के सम्पन्न होने तक की अवधि के लिये पदेन उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी घोषित करता है।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कुमार, उपसचिव।**

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. ई-5-577-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक शाह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 20 से 28 सितम्बर 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 20 से 27 सितम्बर 2017 तक आठ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

2. समसंख्यक आदेश दिनांक 18 सितम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
फजल मोहम्मद, अवर सचिव “कार्मिक”।**

### वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2017**

क्र. 1862-2017-ए-ग्यारह.—बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड विंध्यनगर के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3867 के स्टीमिंग लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3867 के प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में दिनांक 15 अक्टूबर 2017 से 14 अप्रैल 2018 तक के लिये छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश इन्डौर, को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।
4. नियत-कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षर निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
5. भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385-के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी।
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नाकृत छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शालिनी सिंहा, अवर सचिव।**

### वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्र. एफ ए-6-17-2015-1-पांच.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 4 एवं मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 4 में निहित प्रावधान एवं मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010 में किए गए प्रावधान अनुसार श्री मदनलाल संचेती, चार्टेड एकाउण्टेंट, इन्डौर को मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में स्थाई लेखा सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने (जो भी पहले हो) तक के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त करता हैं।

(2) श्री मदनलाल संचेती स्थाई लेखा सदस्य का मुख्यालय भोपाल नियत किया जाता हैं।

(3) श्री मदनलाल संचेती स्थाई लेखा सदस्य मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 4 (6) में निहित प्रावधान अनुसार वेतन प्राप्त करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरुण परमार, उपसचिव.

### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2017

क्र. एफ 1 (बी)-60-17-बी-4-दो.—राज्य सेवा परीक्षा-2016 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्डौर के पत्र क्र. 7048-03-2017-चयन, दिनांक 26 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के सरल क्र. 38 (अनुक्रमांक-219059) सुश्री सौमी दास, (सीट-अ.जा., श्रेणी-अ.जा.) द्वारा दिनांक 11 सितम्बर 2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से चयन उपरान्त नियुक्ति नहीं चाहने की सूचना प्रस्तुत की गई है।

(2) अतः राज्य शासन द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा जारी मुख्य सूची के सरल क्र. 38 पर अनुशंसित सुश्री सौमी दास का उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-1(ए)95-99-ब-2-दो.—श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (समन्वय) अअवि. पुलिस मुख्यालय भोपाल को आवश्यक कार्य हेतु दिनांक 16 से 18 अक्टूबर 2017 तक तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 अक्टूबर 2017 व 19-20-21-22 अक्टूबर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के सात कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (समन्वय) अअवि. पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 147-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक जेल मध्यप्रदेश भोपाल को अकेले सिविकम (गैंगटोक) उत्तर-पूर्व जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 25 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2017 तक आठ दिवस आकस्मिक/ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में अकेले भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक जेल मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 176-97-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री के. पी. वैंकटेश्वर राव, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड मध्यप्रदेश को दिनांक 27 अक्टूबर से 6 नवम्बर 2017 तक ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वैंकटेश्वर राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड मध्यप्रदेश, के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. पी. वैंकटेश्वर राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वैंकटेश्वर राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2017

### संशोधन

फा. क्र. 3368-इक्कीस-ब-(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंचयक आदेश दिनांक 31 जुलाई 2017 में टंकण की त्रुटि सुधार हेतु निम्नानुसार संशोधन करता है :—

	क्र.	आदेश में टंकित नाम	सही नाम (संशोधित नाम)
(1)	(2)	(3)	
1	सुश्री निधि पाटनकर,	श्रीमती निधि पाटनकर,	
	1662/1997	1662/1997	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. पी. शुक्ला, अतिरिक्त सचिव.

फा. क्र. 1-7-81-इक्कीस-ब-(एक)-4156-2017.—मध्यप्रदेश डैकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (1), (1-क) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-7-81-इक्कीस-ब-(एक) दिनांक 19 मई 1981 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में उसी दिन प्रकाशित हुई थी, को, जहां तक कि उसका संबंध शिवपुरी में विशेष न्यायालय के गठन से है, आंशिक अतिथित करते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित विशेष न्यायालयों का, उक्त सारणी के कॉलम (3) में दर्शाए गए क्षेत्र के अधीन आने वाले मामलों के विचारण के संबंध में गठन करती है, अथात् :—

### सारणी

अनुक्रमांक	विशेष न्यायालय	क्षेत्रीय अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
“5.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी	शिवपुरी सेशन खण्ड के अधीन विशेष न्यायालय अनुक्रमांक 5-ए तथा 5-बी पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर शिवपुरी सेशन खण्ड के समस्त क्षेत्र.
5-ए	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेगा	तहसील करेगा की क्षेत्रीय अधिकारिता.
5-बी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोरा	तहसील पिछोरा की क्षेत्रीय अधिकारिता.”

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F. No. 1-7-81-XXI-B(One)-4156-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (1-A) & (2) of Section 6 of the Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981) and in partial supersession of this department's Notification F. No. 1-7-81-XXI-B(I) dated 19th May, 1981 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) on the same day, as far as it relates to the constitution of Special Court at Shivpuri the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby, constitutes the Special Court mentioned in column (2) of the Schedule below for the purposes of the said Act in relation to the trial of the cases falling under areas as shown in column (3) of the said table, namely:—

## TABLE

S. No.	Special Court (2)	Territorial jurisdiction (3)
"5.	Additional Sessions Judge, Shivpuri	All areas of Shivpuri Sessions Division excluding the Territorial jurisdiction given to the Special Courts at serial No. 5-A & 5-B under Sessions Division Shivpuri.
5-A	Additional Sessions Judge, Karera	Territorial jurisdiction of Teshil Karera.
5-B.	Additional Sessions Judge, Pichore	Territorial jurisdiction of Teshil Pichore.”.

**Note:**—The pending cases of the Special Court shall stand transferred to newly constituted court according to their territorial jurisdiction.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

फा. क्र. I-1-2002-4463-2017-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 26 सितम्बर 2017 को मान्य करते हुए श्रीमती दुर्गा डाबर,, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मंदसौर (म. प्र.) का त्याग पत्र दिनांक 23 सितम्बर 2017 अपराह्न से स्वीकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. वाणी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

फा. क्र. 3896-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभागीय नियमावली के नियम 20 के अधीन एतद्वारा श्री के. एल. किरार, जिन्हें इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 सितम्बर 2014 के द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक विदिशा, जिला विदिशा नियुक्त किया गया था, को उनकी आयु दिनांक 6 अप्रैल 2017 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप, अपर लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक विदिशा, जिला विदिशा के रूप में नियुक्ति निरस्त कर उक्त पद से तुरन्त प्रभाव से अभिमुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रामकुमार चौबे, सचिव.

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

क्र. एफ 15-15-2017-1138-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20, सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उनके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिये कॉलम नं. (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :—

### अनुसूची

#### तहसील व्यावरा, जिला राजगढ़

क्रमांक	ग्राम का नाम प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
01	01. मूल ग्राम सीलखेड़ा 02. नवीन ग्राम लोदा का पुरा 03. प.ह.नं. 105.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश.
02	01. मूल ग्राम पहाड़गढ़ 02. नवीन ग्राम शेखपुरा 03. प.ह.नं. 59.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश.
03	01. मूल ग्राम पहाड़गढ़ 02. नवीन ग्राम कोटरा 03. प.ह.नं. 59.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश.

#### तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़

01	01. मूल ग्राम हिनोत्या 02. नवीन ग्राम भरतगढ़ 03. प.ह.नं. 33.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश.
----	--	--

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भारती ओगरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

पु. क्र. एफ 15-15-2017-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-15-2017-सात-6, दिनांक 24 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भारती ओगरे, उपसचिव.

Bhopal, the 24th October 2017

No. F. 15-15-2017-VII-Sec.6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof :—

#### SCHEDULE

#### Tahsil-Biaora, District-Rajgarh

Serial No.	Name of village(s)with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
01	01. Original Village Seelkheda 02. New Village-Loda Ka Pura P.C.No. 105.	Superintendent of Land Records, District -Rajgarh.
02	01. Original Village-Pahadgarh 02. New Village-Shekhpura P.C.No. 59.	—do—
03	01. Original Village-Pahadgarh 02. New Village-Kotra P.C.No. 59.	—do—

#### Tahsil-Narsinghgarh, District-Rajgarh

01	01. Original Village-Hinotiya 02. New Village-Bharatgarh P.C.No. 33.	Superintendent of Land Records (regular) District -Rajgarh.
----	--	--

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
BHARTI OGREY, Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
होशंगाबाद, दिनांक 1 जून 2017

प्र. क्र. 01-7283-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने लिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा-11 की उपधारा (1) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	सिवनी मालवा	धरमकुंडी	1.442 हेक्ट.	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी मालवा.	रेल्वे ओव्हर ब्रिज एवं पहुंच मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ग्राम धरमकुंडी मार्ग पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज एवं मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### कार्यालय, कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-1-4-2017-रा.स.-यू.ए.-1-1294.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर एतद्वारा, डॉ. (श्रीमती) संगीता शुक्ला, कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को उनका वर्तमान कुलपति पद का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिये जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी।

ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति.

### कार्यालय, कुलाधिपति महात्मा गांधी चित्रकूट, ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-1-5-2017-रा.स.-यू.ए.-1-1296.—महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्र. 9 सन् 1991) की धारा 24 की उपधारा (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट एतद्वारा, प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट को उनका वर्तमान कुलपति पद का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिये महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी।

ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति.

### कार्यालय, कुलाधिपति जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-1-6-2017-रा.स.-यू.ए.-1-1298.—जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्र. 12 सन् 1963) की धारा 15 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर एतद्वारा, डॉ. प्रदीप कुमार बिसेन, संचालक विस्तार सेवाएँ, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की कालावधि के लिये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

(2) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-10 के अनुसार शासित होंगी।

ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति.

## कार्यालय, कलेक्टर, भू-अभिलेख सिवनी, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 22 सितम्बर 2017

**क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.**—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाढ (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सिवनी	मुंगवानी कला	मुंगवानी कला	बण्डोल	तहसील सिवनी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बण्डोल के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 35 एवं पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल सिवनी भाग-2 के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 101 एवं पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल सिवनी भाग-1 के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 117 एवं 119 कुल 15 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

**क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.**—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाढ (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	सिवनी	भोमा	भोमा	भोमा	तहसील सिवनी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल भोमा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91 एवं 92 कुल 17 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

**क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.**—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाढ (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	सिवनी	छुई	छुई	भोमा	तहसील सिवनी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल भोमा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 48, 49, 50, 51, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 एवं 69 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	सिवनी	कान्हीवाड़ा	कान्हीवाड़ा	भोमा	तहसील सिवनी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल भोमा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 86 एवं 87 कुल 15 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	सिवनी	बण्डोल	बण्डोल	बण्डोल	तहसील सिवनी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बण्डोल के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 41 तथा पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल भोमा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 42, 43, 44, 45, 46 एवं 47 कुल 17 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	सिवनी	सागर	सागर	बण्डोल	तहसील सिवनी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बण्डोल के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एवं 33 कुल 16 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	सिवनी	सिवनी भाग-1	सिवनी भाग-1	सिवनी भाग-1 एवं भोमा।	तहसील सिवनी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल भोमा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 93, 94 एवं पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल सिवनी भाग-1 के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 129, 130, 131, 132 एवं 133 कुल 14 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	सिवनी	लखनवाड़ा	लखनवाड़ा	सिवनी भाग-1	तहसील सिवनी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल सिवनी भाग-1 के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 एवं 128 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	सिवनी	सिवनी भाग-2	सिवनी भाग-2	बण्डोल एवं सिवनी भाग-2	तहसील सिवनी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बण्डोल के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 36, 38 तथा पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल सिवनी भाग-2 के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105 एवं 106 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	कुरई	बादलपार	बादलपार	सुकतरा	तहसील कुरई के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल सुकतरा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14 एवं 15 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	कुरई	धोबीसरा	धोबीसरा	सुकतरा	तहसील कुरई के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल सुकतरा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,, 34, 35, 36 एवं 37 कुल 11 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	कुरई	सुकतरा	सुकतरा	सुकतरा	तहसील कुरई के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल सुकतरा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 1, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एवं 26 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	कुरई	खवासा	खवासा	कुरई	तहसील कुरई के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल कुरई के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61 एवं 62 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	कुरई	कुरई	कुरई	कुरई	तहसील कुरई के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल कुरई के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 56 एवं 57 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	बरघाट धपारा (गंगेरुआ) धपारा (गंगेरुआ)	बरघाट	तहसील बरघाट के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बरघाट के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 65, 66, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 एवं 87 कुल 14 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।		

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	बरघाट	बरघाट	बरघाट	बरघाट	तहसील बरघाट के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बरघाट के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 एवं 49 कुल 16 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	बरघाट	धारनाकला	धारनाकला	बरघाट	तहसील बरघाट के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बरघाट के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एवं 40 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	बरघाट	मलारा	मलारा	बरघाट	तहसील बरघाट के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बरघाट के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 एवं 30 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	बरघाट	बोरीकला	बोरीकला	बरघाट	तहसील बरघाट के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बरघाट के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 51, 52, 53 एवं 54 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	बरघाट	आषा	आषा	बरघाट	तहसील बरघाट के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बरघाट के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 88, 89, 90 एवं 91 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	बरघाट	अरी	अरी	बरघाट	तहसील बरघाट के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बरघाट के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 एवं 78 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	लखनादौन	नागनदेवरी	नागनदेवरी	धूमा	तहसील लखनादौन के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल धूमा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 एवं 19 कुल 14 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	लखनादौन	सनाईडोंगरी	सनाईडोंगरी	धूमा	तहसील लखनादौन के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल धूमा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 20, 21, 22, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एवं 44 कुल 14 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	लखनादौन	धूमा	धूमा	धूमा	तहसील लखनादौन के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल धूमा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 एवं 33 कुल 16 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	लखनादौन	मढ़ी	मढ़ी	आदेगाँव	तहसील लखनादौन के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल आदेगाँव के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65, एवं 66 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	लखनादौन	आदेगाँव	आदेगाँव	आदेगाँव एवं लखनादौन.	तहसील लखनादौन के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल आदेगाँव के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 45, 46, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70 एवं पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल लखनादौन के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 71 कुल 15 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	लखनादौन	सिहोरा	सिहोरा	लखनादौन	तहसील लखनादौन के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल लखनादौन के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 एवं 98 कुल 11 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	लखनादौन	गणेशगंज	गणेशगंज	लखनादौन	तहसील लखनादौन के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल लखनादौन के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 एवं 110 कुल 11 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	लखनादौन	लखनादौन	लखनादौन	लखनादौन	तहसील लखनादौन के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल लखनादौन के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 95, 96, 97 एवं 100 कुल 17 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	छपारा	रामगढ़	रामगढ़	चमारीखुर्द	तहसील छपारा के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल चमारी खुर्द के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एवं 34 कुल 11 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	छपारा	चमारीखुर्द	चमारीखुर्द	चमारीखुर्द	तहसील छपारा के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल चमारी खुर्द के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एवं कुल 18 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	छपारा	छपारा	छपारा	छपारा एवं चमारीखुर्द	तहसील छपारा के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल चमारी खुर्द के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 12, 13, 14, 15, 16 तथा पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल छपारा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 एवं 42 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	छपारा	भीमगढ़	भीमगढ़	छपारा	तहसील छपारा के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल छपारा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 एवं 54 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाढ़ (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34	घंसौर	गोरखपुर	गोरखपुर	कहानी	तहसील घंसौर के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल कहानी के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 12, 13, 14, 16, 17, 18 15, 20, 21, 22, 23, 24 एवं 25, कुल कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाढ़ (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	घंसौर	कहानी	कहानी	कहानी एवं घंसौर.	तहसील घंसौर के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल कहानी के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 तथा तहसील घंसौर के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल घंसौर के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 38 एवं 39 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाढ़ (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36	घंसौर	दिवारी	दिवारी	कहानी एवं घंसौर.	तहसील घंसौर के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल कहानी के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 19 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37	घंसौर	केदारपुर	केदारपुर	घंसौर	तहसील घंसौर के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल घंसौर के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 एवं 71 कुल 15 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38	घंसौर	भिलाई	भिलाई	घंसौर	तहसील घंसौर के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल घंसौर के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 50, 51, 52, 53, 54, 69, 72, 73, 74, 75, 76 एवं 77 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39	घंसौर	घंसौर	घंसौर	घंसौर	तहसील घंसौर के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल घंसौर के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एवं 55 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40	धनौरा	कुडारी	कुडारी	धनौरा	तहसील धनौरा के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल धनौरा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 43, 44, 45, 46 एवं 47 कुल 15 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41	धनौरा	धनौरा	धनौरा	धनौरा	तहसील धनौरा के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल धनौरा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 एवं 20 कुल 17 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42	धनौरा	सुनवारा	सुनवारा	धनौरा	तहसील धनौरा के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल धनौरा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 19, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 एवं 41 कुल 15 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43	केवलारी	केवलारी	केवलारी	केवलारी	तहसील केवलारी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल केवलारी के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 एवं 46 कुल 16 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44	केवलारी	छोंदा	छोंदा	केवलारी	तहसील केवलारी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल केवलारी के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 एवं 37 कुल 15 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45	केवलारी	उगली	उगली	उगली	तहसील केवलारी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल उगली के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 एवं 65 कुल 19 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 2118-भू-अभि.-रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ:—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित रा.नि.मं.	मुख्यालय	वर्तमान रा.नि.मं.	परिवर्तन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46	केवलारी	पाण्डिया छपारा	पाण्डिया छपारा	उगली	तहसील केवलारी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल उगली के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 एवं 78 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

उक्त परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का समुचित प्रशासन एवं शासकीय कार्यों का सम्पादन प्रभावी रूप से किया जा सके।

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी।

### कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

(केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 सहपठित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215)

क्र. 7141-एस.डब्ल्यू.-2017.—थाना प्रभारी पुलिस थाना लखनादौन का पत्र क्रमांक-था.प्र.- लखनादौन-1758-17, दिनांक 16 अगस्त 2017 द्वारा प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि लखनादौन नगर में राष्ट्रीय राज्यमार्ग-7 पर पेट्रोल पंप चौराहा से लखनादौन शहर की नरसिंहपुर तरफ जाने वाली रोड पर स्कूल, विभिन्न कार्यालय, बैंक नगर पलिका, बस स्टैण्ड, बाजार एवं अस्पताल आदि हैं दिन में उक्त रोड पर जनता का अवागमन ज्यादा होता है एवं भारी वाहन भी उक्त रोड पर अवागमन करते हैं जिससे हमेशा गम्भीर, सड़क दुर्घटनाओं को अंदेशा बना रहता है। थाना प्रभारी ने पेट्रोल पम्प चौराहा लखनादौन से सोनटोरिया तिराहा नरसिंहपुर बाईपास तक प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक उक्त मार्ग पर भारी वाहनों की नो एन्ट्री आदेश जारी करने का विनय किया है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं रोकी जा सकें।

अतः मैं, गोपाल चन्द्र डाड, जिला दण्डाधिकारी सिवनी, थाना प्रभारी, पुलिस थाना लखनादौन के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बड़ी दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखने हेतु केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 सहपठित म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत “लखनादौन शहर में भारी वाहन प्रवेश को प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक प्रतिबंधित करता हूँ” प्रतिबंधित समय अवधि में किन्हीं विशेष परिस्थिति, जो लेखबद्ध की जायेगी, में किसी भारी वाहनों की प्रवेश की अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी लखनादौन द्वारा दी जा सकेगी।

यह अधिसूचना आज दिनांक 6 अक्टूबर 2017 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।

गोपाल चन्द्र डाड, जिला मजिस्ट्रेट।

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रकरण क्र.नं.क/14102/भू-अर्जन/2017.—

धार, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

### ::प्रारंभिक अधिसूचना::

**(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013))**

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम उतावली तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृष वार एवं सर्वे क्रमांकवार विवर। अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम उतावली तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृष वार एवं सर्वे क्रमांकवार विवर। अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची (1)

ग्राम-उतावली

तहसील-धरमपुरी जिला धार

	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	कारम मध्यम सिंचाई परियोजनाके निर्माण में प्रभावित होने से	28.159	6.433	34.602
	योग	28.159	6.433	34.602

### अनुसूची (2)

कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम उतावली तहसील धरमपुरी की प्रभावित भूमि का विवर।

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	कैलाश रामप्रसाद, लीलाबाई, रामीबाई पिता बुरक्या बुदीबाई पति स्व. बुरक्या जाति-भील निवासी-ग्राम उतावली	4/2	0.342	0.000	0.342	0.115	0.000	0.115

2	विक्रम पिता सायबा जाति भील नि. ग्राम उतावली	6	0.221	0.032	0.253	0.221	0.032	0.253
3	बुदीया, कैलाश, नानूराम, जतनबाई, रतनबाई, चतुरबाई, कस्तुरीबाई पिता गोपिया जाति भील नि. ग्राम उतावली	10/1	0.233	0.020	0.253	0.233	0.020	0.253
4	रामकुँवरबाई पति स्व. बुदीया, शोरभ, कंगुर पिता बुदीया जाति भील नि. ग्राम उतावली	10/2	0.240	0.013	0.253	0.240	0.013	0.253
5	नानूराम पिता गोपिया जाति भील नि. ग्राम उतावली	10/3	0.370	0.009	0.379	0.370	0.009	0.379
6	दयाराम पिता बुदीया जाति भील नि. ग्राम उतावली	10/4	0.000	0.126	0.126	0.000	0.126	0.126
7	कैलाश पिता गोपिया जाति भील नि. ग्राम उतावली	10/5	0.370	0.010	0.380	0.370	0.010	0.380
8	मंशाराम पिता बुदीया जाति भील पता नि. ग्राम उतावली	10/6	0.000	0.126	0.126	0.000	0.126	0.126
9	तुलसीराम पिता बुदीया जाति भील नि. ग्राम उतावली	10/7	0.117	0.010	0.127	0.117	0.010	0.127
10	भिक्या पिता किशन जाति भील नि. ग्राम उतावली	13/1, 14/1	0.308	0.000	0.308	0.308	0.000	0.308
11	सुखराम नांदा. पिता किशन, सावित्रीबाई पिता किशन पा.कर्ता बहन, सावित्रीबाई पिता किशन जाति भील नि. ग्राम उतावली	13/2, 14/2	0.615	0.000	0.615	0.615	0.000	0.615
12	सुखलाल, नन्हू पिता राल्या, सुंदरबाई, हीराबाई, लीलाबाई पिता राल्या, नरसिंह, बरसिंह, सनसिंह, पाराबाई, केशरबाई, रेणुका पिता भिक्या, नानुडिबाई पति स्व. भिक्या जाति भील नि. ग्राम उतावली	18	1.594	0.000	1.594	1.594	0.000	1.594

13	मांगीलाल पिता मानसिंह जाति भील पता नि. ग्राम उतावली	21/1	0.515	0.000	<b>0.515</b>	0.515	0.000	<b>0.515</b>
14	नथू मनोहर, गोपाल, अमिचन्द, मेहताबाई पिता सुखराम, झुमकाबाई पति स्व. सुखराम जाति भील पता नि. ग्राम उतावली	21/2	0.508	0.008	<b>0.516</b>	0.508	0.008	<b>0.516</b>
15	गुजरा पिता मानसिंह जाति भील पता नि. ग्राम उतावली	21/3	0.505	0.010	<b>0.515</b>	0.505	0.010	<b>0.515</b>
16	हरिया पिता मानसिंह जाति भील पता नि. ग्राम उतावली	21/4	0.486	0.029	<b>0.515</b>	0.486	0.029	<b>0.515</b>
17	श्रवण, श्रीराम, लीलाबाई पिता बेचरिया, गंगाराम, केकड़िया, हीरालाल, मनाबाई, सेवन्ताबाई पिता अमरिया, रूपसिंह, दुलेसिंह, भीमसिंह, कुसुमबाई, रामीबाई, कामुबाई, कुवरबाई, मथुराबाई, सकुबाई पिता बाबरिया, छोगालाल, रतन पिता लिम्बा, गंगाराम, राजराम, रामलाल, गजराज, अमिचन्द पिता नानजा, मांगीलाल, कालू बबलू, कविता पिता सीताराम, चंदाबाई पति स्व. सीताराम, दिनेश, फूलसिंग, फुलकाबाई, रंजनाबाई, दितुबाई, भूरीबाई पिता सीताराम, केलुबाई पति स्व. सीताराम जाति भील पता नि. ग्राम उतावली	24/1	2.096	0.010	<b>2.106</b>	2.096	0.010	<b>2.106</b>
18	रूपसिंह पिता बाबरिया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	24/2	0.223	0.000	<b>0.223</b>	0.223	0.000	<b>0.223</b>
19	रायसिंह, भारत पिता छोगया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	24/3	0.000	0.150	<b>0.150</b>	0.000	0.150	<b>0.150</b>
		24/4	0.000	0.200	<b>0.200</b>	0.000	0.200	<b>0.200</b>
20	शोभाराम पिता सकरिया जाति भील पता नि. ग्रामउतावली	60/6/2	0.253	0.000	<b>0.253</b>	0.253	0.000	<b>0.253</b>

21	वेरसिंग, मगन पिता छोगया, नानुराम, अम्बाराम, झींगु, मुन्नीबाई पिता देवज्या, दिनेश, राकेश पिता नराण, ना.बा. विनायक पिता नराण, पा.कर्ता भाता गोदावरीबाई पति स्व. नराण जाति भील पता नि. ग्रामउत्तावली	60/3	0.190	0.000	0.190	0.190	0.000	0.190
		60/4	0.190	0.000	0.190	0.190	0.000	0.190
		60/6/1	0.189	0.000	0.189	0.189	0.000	0.189
		67/3	0.025	0.000	0.025	0.025	0.000	0.025
		67/4	0.063	0.000	0.063	0.063	0.000	0.063
		67/6	0.164	0.000	0.164	0.164	0.000	0.164
		67/7	0.203	0.000	0.203	0.203	0.000	0.203
		67/8	0.203	0.000	0.203	0.203	0.000	0.203
22	बल्लू मंगु पिता दामा, नाथीबाई पति स्व. दामा, रुघनाथ पिता दामा, झागलीबाई पति स्व. दामा जाति भील पता नि. ग्रामउत्तावली	62/3	0.000	0.337	0.337	0.000	0.337	0.337
		63/3	0.118	0.000	0.118	0.118	0.000	0.118
		64/3						
		65/3	0.059	0.000	0.059	0.059	0.000	0.059
23	भावसिंग, केशरबाई, सोनाबाई, भूरीबाई पिता शंभू जाति भील पता नि. ग्रामउत्तावली	39/61/3	0.000	0.004	0.004	0.000	0.004	0.004
		62/2	0.337	0.000	0.337	0.337	0.000	0.337
		63/2	0.118	0.000	0.118	0.118	0.000	0.118
		64/2						
		65/2	0.059	0.000	0.059	0.059	0.000	0.059
		69/61/2	0.000	0.004	0.004	0.000	0.004	0.004
24	गजराज पिता नराण जाति भील पता नि. ग्रामउत्तावली	62/1	0.313	0.025	0.338	0.313	0.025	0.338
25	जगन पिता नराण जाति भील पता नि. ग्रामउत्तावली	63/1	0.118	0.000	0.118	0.118	0.000	0.118
		64/1						
		65/1	0.000	0.060	0.060	0.000	0.060	0.060
		69/61/9	0.000	0.004	0.004	0.000	0.004	0.004
26	राजाराम, मानसिंह पिता पूना, रामस्वरूप पिता झब्बा, छगन पिता दित्या, रुमाल, मोरसिंह, प्रभु, नानुडिबाई पिता बुदीया, गबराबाई पति स्व. बुदीया, नाथिया, रतन पिता भिंजा, शंकर, केलाबाई, जसलीबाई पिता धन्ना, रमेश, अमिचन्द, नन्हूबाई, राधिबाई, कलीबाई, सुंदरबाई पिता रुगनाथ, अमरसिंह, हरेसिंह, छितरसिंह पिता मोतीलाल, मिश्राबाई पति स्व.	31	0.000	0.291	0.291	0.000	0.291	0.291
		37	0.000	0.835	0.835	0.000	0.835	0.835

	मोतीलाल, कन्ना, हीरालाल, रामलाल, पन्नालाल, विरजबाई, नकुलबाई, दुरपतिबाई, पासूबाई पिता सुखराम, बुरकीबाई पति स्व. सुखराम, किशन, बिशन, मनोहर, सुखलाल, तुलसीबाई, यशोदाबाई, मैथलीबाई, हीराबाई, सेवन्ताबाई, सुगनबाई पिता मांगिलाल, कामुबाई पति स्व. मांगिलाल, सुखराम, नानुराम, दयाराम पिता गोपाल, राजलीबाई पति स्व. गोपाल, उर्मिलाबाई पिता भूरेसिंह, बालाराम, सुरेश, पूजा पिता नैनसिंह, कमुबाई पति स्व. नैनसिंह जाति भील पता नि. ग्रामउतावली	48	0.000	1.328	1.328	0.000	1.328	1.328
27	हरेसिंह पिता पूना जाति भील निवासी ग्राम उतावली	36/1	0.000	0.337	0.337	0.000	0.337	0.337
28	नानुराम पिता पूना जाति भील निवासी ग्राम उतावली	36/2	0.000	0.337	0.337	0.000	0.337	0.337
29	कामल्या पिता पूना जाति भील निवासी ग्राम उतावली	36/3	0.000	0.338	0.338	0.000	0.338	0.338
30	लाडकीबाई पति स्व. फकीरा, गबरु पिता फकीरा जाति भील पता नि. ग्रामउतावली	38/1	0.083	0.000	0.083	0.083	0.000	0.083
		61/4	0.074	0.026	0.100	0.074	0.026	0.100
		66/2	0.032	0.000	0.032	0.032	0.000	0.032
31	खुमरिया पिता कुतरिया, गजु, रुपेशसिंह, नानू, कोयलबाई, कविताबाई पिता छगन, शांताबाई पति स्व. छगन जाति भील निवासी ग्राम उतावली	38/2	0.248	0.000	0.248	0.248	0.000	0.248
		61/3	0.275	0.026	0.301	0.275	0.026	0.301
		66/5	0.090	0.006	0.096	0.090	0.006	0.096
32	केकड़िया, रामलाल पिता मुरार जाति भील निवासी ग्राम उतावली	38/3	0.248	0.000	0.248	0.248	0.000	0.248
		61/1	0.274	0.026	0.300	0.274	0.026	0.300
		66/4	0.096	0.000	0.096	0.096	0.000	0.096

33	छावरिया, कुब्जाबाई, शांताबाई पिता सुखलाल, गुलाब, ममताबाई पिता सालम, पप्पू पिता मुन्ना, शांताबाई पिता मुन्ना, शंकर, बलवंत, रोशनी पिता बंशीलाल, सायराबाई पति स्व. बंशीलाल जाति भील निवासी ग्राम उतावली	38/4	0.248	0.000	<b>0.248</b>	0.248	0.000	<b>0.248</b>
		61/2	0.274	0.026	<b>0.300</b>	0.274	0.026	<b>0.300</b>
		66/1	0.097	0.000	<b>0.097</b>	0.097	0.000	<b>0.097</b>
34	मांगीलाल, लालू पिता छितर, हीरुबाई, रुकमणिबाई, कुंदनबाई पिता छितर, हजारीलाल पिता रतन, आशाराम, दिलीप, रेशमबाई, उषबाई, रामकन्या, कलकुबाई पिता मदन, शारदाबाई पति स्व. मदन जाति भील निवासी ग्राम उतावली	38/5	0.248	0.000	<b>0.248</b>	0.248	0.000	<b>0.248</b>
		61/5	0.275	0.026	<b>0.301</b>	0.275	0.026	<b>0.301</b>
		66/3	0.096	0.000	<b>0.096</b>	0.096	0.000	<b>0.096</b>
35	लाडकीबाई पति स्व. फकीरा, बण्डू पिता फकीरा जाति-भील निवासी-ग्राम उतावली	38/6	0.083	0.000	<b>0.083</b>	0.083	0.000	<b>0.083</b>
		61/7	0.077	0.024	<b>0.101</b>	0.077	0.024	<b>0.101</b>
		66/7	0.032	0.000	<b>0.032</b>	0.032	0.000	<b>0.032</b>
36	लक्ष्मण पिता फकीरा जाति-भील निवासी-ग्राम उतावली	38/7	0.000	0.082	<b>0.082</b>	0.000	0.082	<b>0.082</b>
		61/6	0.000	0.100	<b>0.100</b>	0.000	0.100	<b>0.100</b>
		66/6	0.000	0.032	<b>0.032</b>	0.000	0.032	<b>0.032</b>
37	गेंदालाल, द्रोपतीबाई, कंगुरबाई पिता बनयार, कलकीबाई पति स्व. बनयार, सुरेश, ममता, प्रेमबाई पिता पेमा, सावित्रीबाई पति स्व. पेमा जाति-भील निवासी-ग्राम उतावली	42	0.190	0.000	<b>0.190</b>	0.190	0.000	<b>0.190</b>
		44/3	0.312	0.000	<b>0.312</b>	0.312	0.000	<b>0.312</b>
		45/2	0.224	0.000	<b>0.224</b>	0.224	0.000	<b>0.224</b>
		46/5	0.314	0.007	<b>0.321</b>	0.314	0.007	<b>0.321</b>
38	वेलज्या, बद्री, मुल्या, कपूरा, भूरि, सकु पिता वागजी जाति-भील निवासी-ग्राम उतावली	44/1	0.312	0.000	<b>0.312</b>	0.312	0.000	<b>0.312</b>
		45/4	0.225	0.000	<b>0.225</b>	0.225	0.000	<b>0.225</b>
		46/3	0.318	0.003	<b>0.321</b>	0.318	0.003	<b>0.321</b>
		47/2	0.165	0.000	<b>0.165</b>	0.165	0.000	<b>0.165</b>
39	राजाराम, मोहरसिंह, मानसिंह, किशवर, श्यानीबाई, कलाबाई, गुजराबाई, सकरीबाई पिता बरमा जाति-भील निवासी-ग्राम उतावली	44/2	0.300	0.012	<b>0.312</b>	0.300	0.012	<b>0.312</b>
		45/3	0.220	0.004	<b>0.224</b>	0.220	0.004	<b>0.224</b>
		46/2	0.243	0.079	<b>0.322</b>	0.243	0.079	<b>0.322</b>
		47/3	0.163	0.000	<b>0.163</b>	0.163	0.000	<b>0.163</b>

40	मकरान्या पिता सायबा जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	45/1	0.205	0.020	<b>0.225</b>	0.205	0.020	<b>0.225</b>
		46/1	0.322	0.000	<b>0.322</b>	0.322	0.000	<b>0.322</b>
		46/4	0.294	0.028	<b>0.322</b>	0.294	0.028	<b>0.322</b>
		47/1	0.039	0.000	<b>0.039</b>	0.039	0.000	<b>0.039</b>
		92/43	0.126	0.000	<b>0.126</b>	0.126	0.000	<b>0.126</b>
41	हजारिया पिता धूल्या, सीताराम, मदनलाल, रामू पिता जगन्या, चम्पाबाई पिता जगन्या जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	49	0.126	0.000	<b>0.126</b>	0.126	0.000	<b>0.126</b>
		51/3	0.433	0.000	<b>0.433</b>	0.433	0.000	<b>0.433</b>
		52/1	0.298	0.000	<b>0.298</b>	0.298	0.000	<b>0.298</b>
42	नथू पिता मुकुन्द जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	50/1	0.019	0.000	<b>0.019</b>	0.019	0.000	<b>0.019</b>
		51/4	0.160	0.000	<b>0.160</b>	0.160	0.000	<b>0.160</b>
		52/6	0.091	0.009	<b>0.100</b>	0.091	0.009	<b>0.100</b>
43	वेरसिंह पिता मुकुन्द जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	50/2	0.030	0.000	<b>0.030</b>	0.030	0.000	<b>0.030</b>
		51/5	0.160	0.000	<b>0.160</b>	0.160	0.000	<b>0.160</b>
		52/5	0.088	0.012	<b>0.100</b>	0.088	0.012	<b>0.100</b>
44	तेरसिंह पिता मुकुन्द जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	50/3	0.040	0.000	<b>0.040</b>	0.040	0.000	<b>0.040</b>
		51/6	0.150	0.000	<b>0.150</b>	0.150	0.000	<b>0.150</b>
		52/4	0.082	0.006	<b>0.088</b>	0.082	0.006	<b>0.088</b>
45	अमीचंद, रमेश, दुरपतीबाई, भूरीबाई पिता बुदिया, चम्पाबाई पति स्व. बुदिया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	51/1/1	0.187	0.000	<b>0.187</b>	0.187	0.000	<b>0.187</b>
		52/3/1	0.090	0.006	<b>0.096</b>	0.090	0.006	<b>0.096</b>
46	श्रदण, कुसूमबाई, पाराबाई पिता केशरीया, बसंतीबाई पति स्व. केशरीया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	51/1/2	0.176	0.010	<b>0.186</b>	0.176	0.010	<b>0.186</b>
		52/3/2	0.096	0.000	<b>0.096</b>	0.096	0.000	<b>0.096</b>
47	नरसिंह, बालु, गम्मू पिता ऊंकार जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	51/1/3	0.187	0.000	<b>0.187</b>	0.187	0.000	<b>0.187</b>
		52/3/3	0.079	0.016	<b>0.095</b>	0.079	0.016	<b>0.095</b>
48	मांगिलाल, बुरक्या, नानूराम, कालुराम पिता घिसीया, मंगलबाई पति स्व. घिसीया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	51/2	0.531	0.029	<b>0.560</b>	0.531	0.029	<b>0.560</b>
		52/2	0.288	0.000	<b>0.288</b>	0.288	0.000	<b>0.288</b>
49	तेरसिंह पिता दगड़िया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	56/1	0.200	0.026	<b>0.236</b>	0.200	0.026	<b>0.236</b>

50	धनसिंह, मदन, नानूराम पिता हजारीलाल सोनावाई पति स्व. हजारीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	56/2	0.223	0.013	<b>0.236</b>	0.223	0.013	<b>0.236</b>
51	खुमानसिंह पिता दगड़िया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	56/3	0.230	0.006	<b>0.236</b>	0.230	0.006	<b>0.236</b>
52	शोभाराम, कालूराम, मनीषा पिता मोरसिंह, लीलावाई पति स्व. मोरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	56/4	0.230	0.006	<b>0.236</b>	0.230	0.006	<b>0.236</b>
53	मोहन पिता दगड़िया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	56/5	0.236	0.000	<b>0.236</b>	0.236	0.000	<b>0.236</b>
54	वेरसिंह पिता दगड़िया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	56/6	0.231	0.006	<b>0.237</b>	0.231	0.006	<b>0.237</b>
55	बेरसिंग, मगन पिता छोग्या, दिनेश पिता नारायण, राकेश, विनायक ना. बा. पिता नारायण पा.कर्ता माता गोदावरीबाई पति स्व. नारायण जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	57	0.330	0.012	<b>0.342</b>	0.330	0.012	<b>0.342</b>
56	रमेश पिता मागिलाल जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	60/1	0.342	0.000	<b>0.342</b>	0.342	0.000	<b>0.342</b>
57	बण्डू पिता सकरिया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	60/2	<b>0.343</b>	0.024	<b>0.367</b>	0.343	0.024	<b>0.367</b>
		60/7/4	0.050	0.000	<b>0.050</b>	0.050	0.000	<b>0.050</b>
58	रणछोड पिता सकरिया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	60/5/1	0.215	0.000	<b>0.215</b>	0.215	0.000	<b>0.215</b>
		60/7/3	0.170	0.005	<b>0.175</b>	0.170	0.005	<b>0.175</b>
59	मिचरिया पिता गोबरीया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	60/5/2	0.200	0.015	<b>0.215</b>	0.200	0.015	<b>0.215</b>
		60/7/2	0.683	0.000	<b>0.683</b>	0.683	0.000	<b>0.683</b>
		67/2	0.000	0.051	<b>0.051</b>	0.000	0.051	<b>0.051</b>
		67/5/2	0.000	0.076	<b>0.076</b>	0.000	0.076	<b>0.076</b>
60	मुन्ना पिता सकरिया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	60/7/1	0.438	0.019	<b>0.457</b>	0.438	0.019	<b>0.457</b>

61	केकड़िया पिता मुरार जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	60/8	0.442	0.000	<b>0.442</b>	0.442	0.000	<b>0.442</b>
		67/1	0.000	0.152	<b>0.152</b>	0.000	0.152	<b>0.152</b>
62	रणछोड, अलकाबाई पिता सकरीया, केलाबाई पति स्व. सकरीया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली	67/5/1	0.000	0.076	<b>0.076</b>	0.000	0.076	<b>0.076</b>
63	सूरजा पिता सकरिया जाति भील पता नि.ग्राम भैसाखौ बुजुर्ग उतावली	72/30	0.291	0.000	<b>0.291</b>	0.291	0.000	<b>0.291</b>
		75/30	0.278	0.000	<b>0.278</b>	0.278	0.000	<b>0.278</b>
		79/30	0.190	0.000	<b>0.190</b>	0.190	0.000	<b>0.190</b>
64	मुतरिया पिता सुकिया ,सलतीबाई पति स्व. सुकिया, जाति भील पता नि.ग्राम भैसाखौ बुजुर्ग उतावली	73/30/1	0.196	0.000	<b>0.196</b>	0.196	0.000	<b>0.196</b>
		84/30/2	<b>0.088</b>	0.000	<b>0.088</b>	0.088	0.000	<b>0.088</b>
65	बाबू पिता केकड़िया जाति भील पता नि.ग्राम भैसाखौ बुजुर्ग उतावली	73/30/2	0.196	0.000	<b>0.196</b>	0.196	0.000	<b>0.196</b>
		84/30/3	<b>0.089</b>	0.000	<b>0.089</b>	0.089	0.000	<b>0.089</b>
66	गोपिया पिता चुन्या जाति भील पता नि.ग्राम भैसाखौ बुजुर्ग उतावली	77/30	0.481	0.000	<b>0.481</b>	0.481	0.000	<b>0.481</b>
67	गणपत पिता गुजरा जाति भील पता. नि.ग्राम भैसाखौ बुजुर्ग उतावली	82/30	0.291	0.000	<b>0.291</b>	0.291	0.000	<b>0.291</b>
68	गोरधन पिता गुजरा जाति भील पता नि.ग्राम भैसाखौ बुजुर्ग उतावली	84/30/1	0.245	0.008	<b>0.253</b>	0.245	0.008	<b>0.253</b>
	<b>कुल योग</b>		<b>28.386</b>	<b>6.307</b>	<b>34.829</b>	<b>28.159</b>	<b>6.433</b>	<b>34.602</b>

### प्रारंभिक अधिसूचना:

**(अन्तर्गत धारा –11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013))**

प्रकरण क्रमांक/14104/भू-अर्जन/2017.—

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम भैसाखों खुर्द तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा–11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**ग्राम—भैसाखों खुर्द**

**अनुसूची (1)**

**तहसील—धरमपुरी जिला धार**

क्र.		विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
			सिवित	असिवित	कुल
1.	कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से योग		5.480	0.312	5.792
			5.480	0.312	5.792

**अनुसूची (2)**

**कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम भैसाखों खुर्द तहसील धरमपुरी की प्रभावित भूमि का विवरण**

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिवित	असिवित	कुल	सिवित	असिवित	कुल
1	धुलिया, दिनेश, गोविंद पिता छगन, रेवाबाई पति स्व. छगन जाति भील नि. ग्राम भैसाखों खुर्द	3/1	0.051	0.000	0.051	0.051	0.000	0.051
		10/1/1	0.131	0.000	0.131	0.131	0.000	0.131
2	रमेश, राधी, जसमा, कावेरी, गुड्ड पिता सोभान जाति भील निवासी ग्राम भैसाखों खुर्द	3/2	0.050	0.000	0.050	0.050	0.000	0.050
		5/2	0.044	0.000	0.044	0.044	0.000	0.044
		8/2	0.025	0.000	0.025	0.025	0.000	0.025
		10/2	0.599	0.008	0.607	0.599	0.008	0.607
3	महताब पिता भगवान जाति भील निवासी ग्राम भैसाखों खुर्द	5/1/1	0.015	0.010	0.025	0.015	0.010	0.025
		10/1/2	0.158	0.000	0.158	0.158	0.000	0.158
4	गंगाराम पिता भगवान जाति भील निवासी ग्राम भैसाखों खुर्द	5/1/2	0.000	0.020	0.020	0.000	0.020	0.020
		10/1/4	0.162	0.000	0.162	0.162	0.000	0.162
5	धुलिया, दिनेश, गोविंद पिता छगन, रेवाबाई पति स्व. छगन जाति भील नि. ग्राम भैसाखों खुर्द	6/1/2/1	0.190	0.000	0.190	0.190	0.000	0.190
6	गंगाराम पिता भगवान जाति भील निवासी ग्राम भैसाखों खुर्द	6/1/2/2	0.189	0.000	0.189	0.189	0.000	0.189

८

7	प्रताप पिता भगवान जाति भील निवासी ग्राम भैसाखो खुर्द	6/1/2/3	0.190	0.000	0.190	0.190	0.000	0.190
8	मेहताप पिता भगवान जाति भील निवासी ग्राम भैसाखो खुर्द	6/1/2/4	0.190	0.000	0.190	0.190	0.000	0.190
9	ताकडिया पिता सुखराम जाति भील नि.ग्राम भैसाखो खुर्द	6/1/1	0.517	0.013	0.530	0.517	0.013	0.530
10	राजाराम पिता पूना जाति भील नि.ग्राम कोठीदा	6/2	0.759	0.000	0.759	0.759	0.000	0.759
11	सुखलाल पिता कमल जाति भील पता नि.ग्राम भैसाखो खुर्द	6/3	0.506	0.000	0.506	0.506	0.000	0.506
12	नानुराम पिता पुन्या जाति भील पता नि.ग्राम भैसाखो खुर्द	7	0.228	0.000	0.228	0.228	0.000	0.228
13	प्रताप पिता भगवान, झमुड़ीबाई पति स्व. भगवान जाति भील नि.ग्राम भैसाखो खुर्द	8/1	0.015	0.011	0.026	0.015	0.011	0.026
		10/1/3	0.156	0.000	0.156	0.156	0.000	0.156
14	हरेसिंह पिता पूना, अमरीबाई पति स्व. पूना जाति भील पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार	9/2/1/1	0.235	0.018	0.253	0.235	0.018	0.253
15	नानूराम पिता पूना, अमरीबाई पति स्व पूना जाति भील नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार	9/2/1/2	0.235	0.018	0.253	0.235	0.018	0.253
16	कामल्या पिता पूना, अमरीबाई पति स्व पूना जाति भील नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार	9/2/1/3	0.241	0.012	0.253	0.241	0.012	0.253
17	राजाराम, मानासिंह पिता पुना, किशन, बिशन, मनोहर, सुखलाल, तुलसी, जशोदा, मैथली, हीरा, सेवन्ता, सुगना पिता मांगीलाल, कमूबाई पति स्व मांगीलाल जाति भील पता नि. ग्राम भैसाखो खुर्द	12	0.300	0.142	0.442	0.300	0.142	0.442
		13	0.142	0.060	0.202	0.142	0.060	0.202
		15	0.152	0.000	0.152	0.152	0.000	0.152
	योग		5.480	0.312	5.792	5.480	0.312	5.792

प्रकरण क्रमांक/14106/. . . 2016-2017.— :प्रारंभिक अधिसूचना:

(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम भैसाखो बुजुर्ग तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में आंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची (1)

ग्राम—भैसाखो बुजुर्ग

तहसील—धरमपुरी जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से	16.837	3.093	19.930
	योग	16.837	3.093	19.930

### अनुसूची (2)

कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम भैसाखो बुजुर्ग तहसील धरमपुरी की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	रामस्वरूप पिता झब्बा, सुखराम, नानुराम, दयाराम पिता गोपाल, राजलीबाई पति स्व. गोपाल, उर्मिलाबाई पिता भूरेसिंह, छगन पिता दित्या, बतराम, सुरेश पिता नैनसिंह नाशा, पूजा पिता नैनसिंह पा. कर्ता माता कमुबाई, व कमुबाई पति स्व नैनसिंह जाति भील निवासी ग्राम कोठीदा (पटेलपुरा)	5/1	0.548	0.00	0.548	0.280	0.00	0.280
2	किशन, बिशन, मनोहर, सुखलाल, तुलसी, जशोदा, मेथली, हीरा, सेवना, सुगन पिता सांगीलाल, कामुबाई पति स्व. मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम कोठीदा (पटेलपुरा)	5/2	0.500	0.048	0.548	0.500	0.048	0.548
3	नाथा, रतन, धारु, कुसमी पिता भिजा, रुमाल, मोरसिंह, प्रभुलाल, नानुडीबाई	5/3	0.000	0.548	0.548	0.000	0.548	0.548

	प्रेमबाई पिता बुदीया, गोरबाई पति.स्व बुदिथा, कहैया, हीरालाल, रामलाल, पन्नालाल पिता सुखराम, बुरकीबाई पति.स्व सुखराम जाति भील निवासी ग्राम कोठीदा							
4	शंकरसिंह पिता धन्ना, अमीचन्द, रमेश पिता रुगनाथ, अमरसिंह, हरेसिंह, छितरसिंह पिता मोतीलाल, मिश्रीबाई पति.स्व मोतीलाल जाति भील निवासी ग्राम कोठीदा (पटेलपुरा)	7	0.000	0.366	0.366	0.000	0.366	0.366
5	सीताराम, पूनम पिता कुंवरिया, ताराबाई पति कुंवरिया जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग शा. पट्टेदार	8/2/2	0.494	0.012	0.506	0.268	0.012	0.280
6	नंदराम पिता रुपचन्द, कुंवरबाई पति नंदराम जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग शा. पट्टेदार	12/2/1	0.239	0.011	0.250	0.114	0.011	0.125
7	कमल पिता मुकुन्द, चागुलबाई पति कमल जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग शा. पट्टेदार	12/2/2	0.250	0.000	0.250	0.250	0.000	0.250
8	दलबाई पति.स्व दित्या जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग शा. पट्टेदार	12/2/3	0.000	0.259	0.259	0.000	0.259	0.259
9	कमल पिता मुकुन्द, केवाबाई पति.स्व मुकुन्द, नंदराम, नराज पिता रुपचन्द, नावा. अलकेश, छोटुसिंह, सुनीता पा. कर्ता माता सुगनबाई पति.स्व कहैया, अंतर, श्रवण, जंगुलाल पिता दित्या जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	13	0.307	0.009	0.316	0.307	0.009	0.316
		15	2.300	0.052	2.352	2.300	0.052	2.352
10	मांगीलाल, मंगु रामसिंह, जामसिंह, हीरालाल पिता गणपत जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	16/1	0.000	0.373	0.373	0.000	0.330	0.330
		27/2	0.051	0.000	0.051	0.051	0.000	0.051
11	गोरघन पिता गुजरा जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	16/2	0.350	0.023	0.373	0.267	0.023	0.290
		27/3	0.000	0.051	0.051	0.000	0.051	0.051
12	मदन, कैलाश, देवीसिंह पिता छोगालाल, रंगबाई पति.स्व छोगालाल, विरजबाई, सोनाबाई, कावेरीबाई, गजरीबाई पिता रुगनाथ, मनीषा पिता विश्राम, कंचनबाई पति.स्व विश्राम, जितेन्द्र पिता मयकुलाल नावा पा.कर्ता कंचनबाई पति.स्व विश्राम जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	17	0.100	0.064	0.164	0.100	0.064	0.164
13	हजार पिता रावजी जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	18/1	0.188	0.023	0.211	0.188	0.023	0.211
		18/4	0.240	0.000	0.240	0.240	0.000	0.240
		19/1	0.161	0.000	0.161	0.161	0.000	0.161
14	नागरिया पिता रावजी जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	18/2	0.211	0.000	0.211	0.211	0.000	0.211
		18/6	0.240	0.000	0.240	0.240	0.000	0.240
		19/2	0.000	0.160	0.160	0.000	0.160	0.160

15	विकम, भारत पिता कुतरिया, पुरमावाई पड़ि.स्व कुतरिया जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	18 / 3	0.203	0.009	<b>0.212</b>	0.203	0.009	<b>0.212</b>
		18 / 5	0.240	0.000	<b>0.240</b>	0.240	0.000	<b>0.240</b>
		19 / 3	0.160	0.000	<b>0.160</b>	0.160	0.000	<b>0.160</b>
16	मगन, कैलाश, देवीसिंह पिता छोगालाल, रंगबाई पति स्व. छोगालाल जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	20 / 1	0.372	0.012	<b>0.384</b>	0.372	0.012	<b>0.384</b>
17	जितेन्द्र पिता मयकुलाल नावा. पा.कर्ता ताई कंचनबाई पति स्व. विश्राम जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	20 / 2	0.384	0.000	<b>0.384</b>	0.384	0.000	<b>0.384</b>
18	मनीषा पिता विश्राम, कंचनबाई पति.स्व विश्राम जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	20 / 3	0.376	0.007	<b>0.383</b>	0.376	0.007	<b>0.383</b>
19	कन्नु पिता भागचंद जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	21 / 1	0.316	0.004	<b>0.320</b>	0.316	0.004	<b>0.320</b>
		21 / 6	0.310	0.009	<b>0.319</b>	0.310	0.009	<b>0.319</b>
20	सुकरिया पिता भागचंद जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	21 / 2	0.319	0.000	<b>0.319</b>	0.319	0.000	<b>0.319</b>
		21 / 5	0.319	0.000	<b>0.319</b>	0.319	0.000	<b>0.319</b>
		22	0.000	0.013	<b>0.013</b>	0.000	0.013	<b>0.013</b>
		24 / 2	0.000	0.063	<b>0.063</b>	0.000	0.063	<b>0.063</b>
21	मनोहर पिता भागचंद जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	21 / 3	0.319	0.000	<b>0.319</b>	0.319	0.000	<b>0.319</b>
		21 / 7	0.307	0.013	<b>0.320</b>	0.307	0.013	<b>0.320</b>
		23 / 1	0.000	0.019	<b>0.019</b>	0.000	0.019	<b>0.019</b>
		24 / 1	0.000	0.051	<b>0.051</b>	0.000	0.051	<b>0.051</b>
22	सिंगदार पिता भागचंद जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	21 / 4	0.319	0.000	<b>0.319</b>	0.319	0.000	<b>0.319</b>
		21 / 8	0.299	0.020	<b>0.319</b>	0.299	0.020	<b>0.319</b>
		23 / 2	0.000	0.019	<b>0.019</b>	0.000	0.019	<b>0.019</b>
23	राजाराम पिता पन्ना, जंगलीबाई पति. स्व पन्ना जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	26 / 1	0.019	0.000	<b>0.019</b>	0.019	0.000	<b>0.019</b>
		27 / 1	0.265	0.015	<b>0.280</b>	0.265	0.015	<b>0.280</b>
		27 / 9 / क	0.316	0.000	<b>0.316</b>	0.316	0.000	<b>0.316</b>
24	तेजराम पिता पन्ना, जंगलीबाई पति. स्व पन्ना जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	26 / 2	0.019	0.000	<b>0.019</b>	0.019	0.000	<b>0.019</b>
		27 / 8	0.632	0.000	<b>0.632</b>	0.316	0.000	<b>0.316</b>
		27 / 9	0.271	0.008	<b>0.279</b>	0.271	0.008	<b>0.279</b>
25	बाबू पिता केकड़िया, व रतनबाई पति. स्व केकड़िया जाति भील निवासी भेसौखा बुजुर्ग	27 / 4	0.238	0.000	<b>0.238</b>	0.238	0.000	<b>0.238</b>
		27 / 7	0.176	0.014	<b>0.190</b>	0.176	0.014	<b>0.190</b>
26	मुतरिया पिता सुक्या जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	27 / 5	0.239	0.000	<b>0.239</b>	0.239	0.000	<b>0.239</b>
		27 / 6	0.184	0.006	<b>0.190</b>	0.184	0.006	<b>0.190</b>
27	नहारसिंह पिता सुरजा जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	28 / 1	0.100	0.035	<b>0.135</b>	0.100	0.035	<b>0.135</b>
		30 / 3	0.050	0.000	<b>0.050</b>	0.050	0.000	<b>0.050</b>
		31 / 3	0.400	0.000	<b>0.400</b>	0.400	0.000	<b>0.400</b>
		31 / 5	0.130	0.000	<b>0.130</b>	0.130	0.000	<b>0.130</b>
		32 / 2	0.000	0.200	<b>0.200</b>	0.000	0.200	<b>0.200</b>
		35 / 3	0.065	0.000	<b>0.065</b>	0.065	0.000	<b>0.065</b>

28	उमराव पिता सुरजा जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	28/2	0.000	0.135	<b>0.135</b>	0.000	0.135	<b>0.135</b>
		30/1	0.153	0.000	<b>0.153</b>	0.153	0.000	<b>0.153</b>
		31/1	0.490	0.000	<b>0.490</b>	0.490	0.000	<b>0.490</b>
		32/3	0.000	0.055	<b>0.055</b>	0.000	0.055	<b>0.055</b>
		35/1	0.060	0.000	<b>0.060</b>	0.060	0.000	<b>0.060</b>
29	तेरसिंह पिता सुरजा जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	28/3	0.158	0.000	<b>0.158</b>	0.158	0.000	<b>0.158</b>
		30/2	0.050	0.000	<b>0.050</b>	0.050	0.000	<b>0.050</b>
		31/2	0.270	0.000	<b>0.270</b>	0.270	0.000	<b>0.270</b>
		31/4	0.127	0.000	<b>0.127</b>	0.127	0.000	<b>0.127</b>
		32/1	0.000	0.200	<b>0.200</b>	0.000	0.200	<b>0.200</b>
		33	0.000	0.025	<b>0.025</b>	0.000	0.025	<b>0.025</b>
		35/2	0.065	0.000	<b>0.065</b>	0.065	0.000	<b>0.065</b>
30	मोरसिंह दत्तक पिता रामा जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	36/1/1	0.080	0.000	<b>0.080</b>	0.080	0.000	<b>0.080</b>
		36/4	0.320	0.013	<b>0.333</b>	0.320	0.013	<b>0.333</b>
		36/9	0.313	0.020	<b>0.333</b>	0.313	0.020	<b>0.333</b>
		37	0.000	0.063	<b>0.063</b>	0.000	0.063	<b>0.063</b>
31	नानीबाई पिता रामा जाति भील निवासी ग्राम खार, तह. महेश्वर, जिला खरगोन	36/1/2	0.253	0.000	<b>0.253</b>	0.253	0.000	<b>0.253</b>
32	भेरसिंह पिता किशन जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	36/2	0.333	0.000	<b>0.333</b>	0.333	0.000	<b>0.333</b>
		38/2/1/1	0.016	0.000	<b>0.016</b>	0.016	0.000	<b>0.016</b>
33	प्यारसिंह, कोल, करणसिंह, पूरणसिंह, पूनमचंद पिता देवचंद, सजोरीबाई पति. स्व. देवचंद जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	36/3	0.333	0.000	<b>0.333</b>	0.333	0.000	<b>0.333</b>
		36/6	0.332	0.001	<b>0.333</b>	0.332	0.001	<b>0.333</b>
		36/8	0.320	0.013	<b>0.333</b>	0.320	0.013	<b>0.333</b>
		38/2/2	0.000	0.051	<b>0.051</b>	0.000	0.051	<b>0.051</b>
34	वेरसिंह पिता किशन जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	36/5	0.333	0.000	<b>0.333</b>	0.333	0.000	<b>0.333</b>
		38/2/1/3	0.017	0.000	<b>0.017</b>	0.017	0.000	<b>0.017</b>
35	जामसिंह पिता किशन जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग	36/7	0.306	0.027	<b>0.333</b>	0.306	0.027	<b>0.333</b>
		38/2/1/2	0.000	0.017	<b>0.017</b>	0.000	0.017	<b>0.017</b>
	योग		<b>17.855</b>	<b>3.136</b>	<b>20.991</b>	<b>16.837</b>	<b>3.093</b>	<b>19.930</b>

प्रकरण क्रमांक/14108/अ-.../2016-2017.—

### प्रारंभिक अधिसूचना:

**अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)**

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम जामन्दा तहसील धार जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची (1)

ग्राम- जामन्दा

तहसील-धार जिला धार

क्र	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	कारम मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत दूब प्रभावित होने से	2.664	0.134	2.798
	योग	2.664	0.134	2.798

### अनुसूची (2)

कारम मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत दूब प्रभावित ग्राम जामन्दा की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- जामन्दा

तहसील- धार

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	सखाराम पिता सावलिया जाति भील निवासी ग्राम-जामन्दा	1/1	0.089	0.000	0.089	0.089	0.000	0.089
		3/1	0.070	0.000	0.070	0.064	0.006	0.070
		4/3	0.458	0.000	0.458	0.458	0.000	0.458
2	गंगन्या पिता गोपाल जाति भील निवासी ग्राम जामन्दा	1/2	0.089	0.000	0.089	0.089	0.000	0.089
		3/2	0.070	0.000	0.070	0.064	0.006	0.070
		4/2	0.458	0.000	0.458	0.388	0.000	0.388
3	सुखराम, नथताल, धनसिंह, लालसिंह, पांधीलाल पिता सावलिया जाति भील निवासी ग्राम जामन्दा	1/3	0.089	0.000	0.089	0.089	0.000	0.089
		3/3	0.070	0.000	0.070	0.049	0.021	0.070
		4/1	0.460	0.000	0.460	0.345	0.000	0.345
4	छोड़नपिता धीसा, जग्या, गवला, मनु, रमेश, हिन्दु नामजा, कामजा, पिताचंपलिया, नामजा, कामजाना.वा. पांधीलाल जोगा पिता चंपलिया जाति भील निवासी ग्राम-जामन्दा	6	0.749	0.000	0.749	0.340	0.070	0.410
5	कैलाश पिता बुदिया जाति भील निवासी ग्राम-जामन्दा	12/2/1	0.492	0.000	0.492	0.120	0.000	0.120
6	जमसिंह पिता बुदिया जाति भील निवासी ग्राम-जामन्दा	12/2/2	0.732	0.000	0.732	0.400	0.000	0.400

7	नाथिया, पिता वरसिंह जाति भील निवासी ग्राम—जामन्दा	12/1	0.079	0.000	0.079	0.000	0.025	0.025
		13	0.732	0.000	0.732	0.050	0.000	0.050
8	फुंदावाई पति केकड़िया जाति भील निवासी ग्राम—देवझीरी	18	0.105	0.000	0.105	0.034	0.006	0.040
		19	0.304	0.000	0.304	0.055	0.000	0.055
		20	1.113	0.000	1.113	0.030	0.000	0.030
	योग		6.159	0.000	6.159	2.664	0.134	2.798

प्रकरण क्रमांक/14110/अ—. . . 2016-2017.—

### प्रारंभिक अधिसूचना:

(अन्तर्गत धारा —11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम चौकी तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकधार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा—11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची (1)

ग्राम—चौकी

तहसील—धरमपुरी जिला धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से	2.215	0.049	2.264
	योग	2.215	0.049	2.264

### अनुसूची (2)

कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम चौकी तहसील धरमपुरी की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	रमेश पिता मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम चौकी	42/1	0.240	0.013	0.253	0.240	0.013	0.253
		43/1	0.227	0.000	0.227	0.227	0.000	0.227
		127/44	0.470	0.036	0.506	0.470	0.036	0.506
2	जगदीश पिता मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम चौकी	42/2	0.253	0.000	0.253	0.253	0.000	0.253
		43/2	0.228	0.000	0.228	0.228	0.000	0.228
3	कमलावाई पति से मांगीलाल, अवन्नीबाई, शोभाबाई, कालीबाई, गुड़ीबाई, ना.वा. पिता मांगीलाल पाकर्ता माता कमलावाई जाति भील निवासी ग्राम चौकी	44	0.797	0.000	0.797	0.797	0.000	0.797
	योग		2.215	0.049	2.264	2.215	0.049	2.264

प्रकरण क्रमांक/14114/अ- . . . 2016-2017.—

### प्रारंभिक अधिसूचना:

(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम लालगढ़ तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्व क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

ग्राम—लालगढ़

अनुसूची (1)

तहसील—धरमपुरी जिला धार

क्र.		विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल
1.	कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से		5.464	0.960	6.374
	योग		5.464	0.960	6.374

अनुसूची (2)

कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम लालगढ़ तहसील धरमपुरी की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खस्स क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	प्रताप पिता भगवान, झमूडीबाई पिता सोम जाति भील निवासी ग्राम भैसाखौखुर्द	2/1	0.110	0.000	0.110	0.110	0.000	0.110
		4/3	0.635	0.000	0.635	0.635	0.000	0.635
		5,6	0.316	0.000	0.316	0.316	0.000	0.316
2	गंगाराम पिता भगवान जाति भील निवासी ग्राम भैसाखौखुर्द	2/2	0.111	0.000	0.111	0.111	0.000	0.111
		4/1	0.635	0.000	0.635	0.635	0.000	0.635
3	धुलीया, दिनेश, गोविंद, तेजुबाई पिता छबन, रेवाबाई पति स्व. छगन जाति भील निवासी ग्राम भैसाखौखुर्द	2/3	0.000	0.111	0.111	0.000	0.111	0.111
		4/2	0.000	0.636	0.636	0.000	0.636	0.636
4	मेहताब पिता भगवान जाति भील निवासी ग्राम भैसाखौखुर्द	2/4	0.000	0.111	0.111	0.000	0.111	0.111
		4/4	0.636	0.000	0.636	0.636	0.000	0.636
5	गबरु पिता छोटू जाति भील निवासी ग्राम लालगढ़	3/1	1.939	0.020	1.959	1.939	0.020	1.959
6	झामरिया पिता झब्बा जाति भील निवासी ग्राम लालगढ़	3/2/1	0.241	0.012	0.253	0.241	0.012	0.253
7	हीरालाल पिता कुतरिया जाति भील निवासी ग्राम लालगढ़	3/2/2	0.253	0.000	0.253	0.253	0.000	0.253
8	महेश, पूजा, सतोष पिता मालजी) रेवाबाई पति स्व. मालजी जितेंद्र, धर्मेन्द्र, किरण ना. बा. पा. कर्ता माता तेजुबाई, तेजुबाई पति स्व. श्यामा जाति भील निवासी ग्राम लालगढ़	13	0.120	0.070	0.190	0.120	0.070	0.140
9	किशन, विशन, मनोहर, सुखलाल, तुलसी, जशोदा, मैथली, हीरा, सेवना, सुगन पिता मांगीलाल कामुबाई पति स्व. मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम कोठीदा(पटेलपुरा)	15	0.468	0.000	0.468	0.468	0.000	0.468
	योग		5.464	0.960	6.424	5.464	0.960	6.374

प्रकरण क्रमांक/14112/अ- . . . 2016-2017.—

**:प्रारंभिक अधिसूचना:**

(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

यह राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम कोठीदा तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) को धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची (1)****ग्राम—कोठीदा****तहसील—धरमपुरी जिला धार**

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से	8.773	2.583	11.356
	योग	8.773	2.583	11.356

**अनुसूची (2)**

कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम कोठीदा तहसील धरमपुरी की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	गुजरा, सिंगदार पिता दरियाव, बसंतीबाई पति स्व. दरियाव, दिलीप पिता रुग्नाथ, कैलाश, कल्याण, महेश पिता नव्यु रुखमाबाई पति स्व. नव्यु बंशीलाल, सूरज, सीमा, रेखा पिता गल्या, झल्लूबाई पति स्व. गल्या, कमलेश, लोकेश पिता गंगाराम ना. बा. सोनू, पूजा पिता गंगाराम पा. कर्ता भाता सावित्रीबाई, व सावित्रीबाई पति स्व. गंगाराम जाति भील निवासी ग्राम कोठीदा	3/1	1.074	0.000	1.074	1.074	0.000	1.074
2	मिश्रीलाल पिता उमराव जाति भील निवासी ग्राम कोठीदा	3/2	0.000	0.090	0.090	0.000	0.090	0.090
		3/4	0.147	0.200	0.347	0.147	0.200	0.347
		3/6	0.000	0.100	0.100	0.000	0.100	0.100
3	मीराबाई पति स्व. रामेश्वर, राधेश्याम, गीता, प्रमीला पिता रामेश्वर ना. बा. पा. कर्ता भाता मीराबाई जाति भील निवासी ग्राम कोठीदा	3/3	0.090	0.000	0.090	0.090	0.000	0.090
		3/5	0.148	0.300	0.448	0.148	0.300	0.448
4	बिजयसिंह पिता नारायणसिंह जाति भीलाला	4	0.899	0.000	0.899	0.899	0.000	0.899



प्रकरण क्रमांक/14116/अ- . . . 2016-2017.—

### प्रारंभिक अधिसूचना:

**(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013))**

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम सराय तहसील धार जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरा अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्तीत अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची (1)

##### ग्राम-सराय

##### तहसील-धार जिला धार

क्र.	विवरण	अंजित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ढूब प्रभावित योग	3.178	0.000	3.178
		3.178	0.000	3.178

#### अनुसूची (2)

कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ढूब प्रभावित ग्राम सराय की प्रभावित भूमि का विवरण :-

##### ग्राम-सराय

##### तहसील — धार जिला धार

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अंजित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	पण्डु अज्जु, पिताकुम्ह, शांतिबाई पति.स्व कुम्ह जाति भील नि. सराय	684/1	0.607	0.000	0.607	0.040	0.000	0.040
2	कैलाश पिता गल्या जाति भील नि.सराय	684/2	0.607	0.000	0.607	0.080	0.000	0.080
3	बुदिया पिता मुकुट, पार्वती बाई पति.स्व मुकुट जाति भील नि. सराय	684/3	0.607	0.000	0.607	0.300	0.000	0.300

4	बुदिया पिता मुकुट जाति भील नि.सराय	684/4	0.600	0.000	0.600	0.350	0.000	0.350
5	पण्डु पिता मोत्या जाति भील नि.सराय	684/5	0.607	0.000	0.607	0.447	0.000	0.447
		685/1	0.286	0.000	0.286	0.286	0.000	0.286
		686/1	0.367	0.000	0.367	0.367	0.000	0.367
6	लक्ष्मण पिता मोत्या जाति भील नि.सराय	685/2	0.287	0.000	0.287	0.287	0.000	0.287
		686/2	0.367	0.000	0.367	0.367	0.000	0.367
7	नन्तु पिता मोत्या जाति भील नि.सराय	685/3	0.287	0.000	0.287	0.287	0.000	0.287
		686/3	0.367	0.000	0.367	0.367	0.000	0.367
	योग		4.989	0.000	4.989	3.178	0.000	3.178

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
इन्दौर, दिनांक 17 अक्टूबर 2017

प्रकरण क्रमांक / 224 / भू-अर्जन/2017  
प्रारंभिक अधिसूचना

अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और  
पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में ग्राम नैनोद मे इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व सुधार हेतु निजी भूमि की जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है, कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम :– नैनोद

तहसील इन्दौर जिला इन्दौर

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकमा (हैक्टर में)		
		सिंचित	आसिंचित	कुल
01	इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व सुधार हेतु निजी भूमि	0.110	0.00	0.110
	योग	0.110	0.00	0.110

## अनुसूची (2)

इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व सुधार हेतु निजी भूमि अंतर्गत ग्राम नैनोद की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	कृष्णपाल पिता झुन्ना लाल जाति कलोता निवासी ग्राम	151 / 1	3.520	0.00	3.520	0.055	0.00	0.055
02	संतोष पिता चैनसिंह जाति कलोता निवासी ग्राम	151 / 2	8.373	0.00	8.373	0.055	0.00	0.055
		02	11.893	0.00	11.893	0.110	0.00	0.110

1. यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा - (1) के उपबंधो के अधीन जारी की गई है।
2. अर्जनाधीन भूमि से संबंधित रेखांकन संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास लिमिटेड संभाग इन्दौर पी.डब्ल्यू.डी परिसर ओल्ड पलासिया इन्दौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।
3. उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृद्धा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य की उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।
4. अधिनियम की धारा 11 (4) की अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी विलंगम या कोई संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।
5. अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आपेक्ष, यदि कोई हो, फाईल किये जा सकें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग  
राजगढ़, दिनांक 23 अक्टूबर 2017

क्रमांक / 17.6.9.../ भू-अर्जन / 2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक ...../ अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ब्यावरा-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनात्तर्गत ग्राम कचनारिया के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा-11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची-(1)

ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की प्रभावित भूमि

क्रमांक	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.में
1	2	3
1	ग्राम कचनारिया (निजी भूमि)	18.468

#### अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना' के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का विवरण

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
<b>ग्राम कचनारिया</b>				
क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	आनन्दपुर द्रस्ट द्वारा मु. आम महात्मा शब्द धर्म आनन्द गुरु श्री स्वामी दर्शन पूर्व आनन्द जी महाराज नि आनन्दपुर	3/1 4/1	0.240 ✓ 0.013 ✓	0.025 0.013
2	बापू लाल पिता जगनाथ दांगी नि पडोन्या	3/2 4/2 5 6	0.354 ✓ 0.025 ✓ 0.026 ✓ 0.316 ✓	0.223 0.012 0.021 0.187

3	राम प्रसाद पिता रोडीलाल जाति दांगी	32/1/1	0.130 ✓	0.130
		32/3/1	0.135 ✓	0.135
4	राधेश्याम पिता रोडी लाल दांगी	32/1/2	0.130 ✓	0.130
		32/3/2	0.135 ✓	0.135
5	राम प्रसाद, राधेश्याम पिता रोडीलाल दांगी	32/1/3	0.010 ✓	0.005
6	मांगीलाल, रामप्रसाद, घीसीबाई, भगवती पिता देवा जाति दांगी नि. पडोनिया	1758/33	0.708 ✓	0.708
7	भागीरथ पिता भंवर लाल दांगी नि पडोनिया	32/2	0.270 ✓	0.270
8	विष्णु, गोपाल पिता पूरालाल, चम्पा बाई बेवा पूरालाल, जसोदी बाई बेवा गुलाब जाति दांगी नि. ग्रा.भू.	30	1.732 ✓	0.950
9	धर्मेन्द्र कमल पिता रामनारायण, दरियावबाई बैवा रामनारायण दांगी हि. 50 पै., भूलीबाई पुत्री देवीसिंह हि. 50 पै. जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	29	0.785 ✓	0.048
10	प्रभूलाल पिता हजारी लाल कुम्हार	47/2	0.100 ✓	0.033
11	मिश्री लाल पिता मुल्या जाति बृजा	48/1	1.328 ✓	0.466
		48/2	1.063 ✓	0.509
12	देवा पिता कल्ला, दुर्गा बैवा कल्ला हि. 50 पै. भोनसिंह, उमराव पिता हीरा हि. 50 पै.जाति बृजा नि.ग्रा.भू.	1759/46	0.253 ✓	0.152
		1760/47	0.670 ✓	0.326
13	कमला बाई सुन्दर बाई पुत्री भूरा केसर बाई बेवा भूरा हि. 21 पै. मिश्री पुत्र मुल्या हि. 79 पै. जाति बृजा नि.ग्रा.भू.	49/1	0.715 ✓	0.152
14	राम प्रसाद पिता देवी लाल साहू नि.ग्रा.भू.	56/2	0.620 ✓	0.014
15	घीसा पिता परसा जाति बृजा	57	0.632 ✓	0.295
		1313	0.190 ✓	0.001
16	राहुल अंकुर पिता अशोक कुमार जाति महाजन नि. ग्रा.भू.	58	0.632 ✓	0.170
		59/1/1	2.130 ✓	0.037
17	विष्णु अग्रवाल पिता चम्पा लाल जाति महाजन नि. व्यावरा भूस्वामी	60/1/1	0.587 ✓	0.327
18	हरिओम विजय वर्गीय पिता नारायण प्रसाद नि. व्यावरा	60/2/1/1	0.429 ✓	0.267
19	ओमप्रकाश, गिरधरगोपाल पिता शांतिचंद जाति महाजन नि.व्यावरा भूस्वामी	591/1	0.428 ✓	0.129

20	भंवरिया, रामबगस, प्रभु, बापु, मोहन पिता हजारीलाल, भंवरीबाई बैवा हजारीलाल मांगीबाई पत्री हजारीलाला जाति कुम्हार	590/1/1	0.228 ✓	0.023
21	जीतेन्द्र कुमार पिता रामलाल कोली, पुष्टा सुनीता पुत्री रामलाल, ईमरथ देवी बैवा, रामलाल जाति कोली नि. भोपाल भूस्वामी	590/1/2	0.227 ✓	0.207
22	मनोज कुमार, अक्षय कुमार पिता बाल किशन प्रभा देवी बैवा बालकिशन जाति महाजन नि.व्यावरा भूस्वामी	588/1/1	0.061 ✓	0.061
23	बद्रीलाल पिता भंवर लाल हि 20 पैसे. मांग्या पिता गोप्या, कस्तूरीबाई बैवा गोप्या, केशर धापू पुत्रिया गोप्या हि. 80 पैसे जाति दांगी	586/1/1	0.443 ✓	0.092
		589/1	0.885 ✓	0.604
24	ओमप्रकाश पिता बापूलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	604/1	0.342 ✓	0.177
25	रामप्रसाद पिता बापूलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	604/2	0.341 ✓	0.291
26	बद्रीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.व्यावरा भूस्वामी	605	0.658 ✓	0.212
27	भंवर लाल पिता प्यारजी दांगी नि.कचनारिया भूस्वामी	616	0.367 ✓	0.018
		619	0.038 ✓	0.024
		621	0.114 ✓	0.101
		622	0.544 ✓	0.110
		625	0.417 ✓	0.121
28	बद्रीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.व्यावरा भूस्वामी	698/1/1/1	0.367 ✓	0.025
29	सुखराम पिता दुल्या, कलाबाई बैवा दुल्या ना.बा. संजू, काना पिता प्रेमनारायण, सर. माता सुशीला बाई बैवा प्रेमनारायण जाति बृजा नि.ग्रा.भू.	699/1/2	0.192 ✓	0.080
30	कालूराम पिता प्यारजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	699/2	0.139 ✓	0.035
31	भंवरलाल पिता प्यारजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	624	0.999 ✓	0.461
32	हरकू बाई पिता चुनीलाल जाति बृजा नि.ग्रा.भू.	718/2/4	0.803 ✓	0.060
33	दशरथ पिता रामा जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	602	0.443 ✓	0.067
		618	0.417 ✓	0.154
		620	0.139 ✓	0.130
		720	0.481 ✓	0.240
34	लक्ष्मी नारायण, मोतीलाल, श्याम पिता हजारी लाल, पार्वतीबाई बैवा हजारीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	1782/702	2.150 ✓	0.897

35	राधेश्याम पिता हजारीलाल दांगी, विजयसिंह पिता लक्ष्मीनारायण जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	703/2/2 703/2/4	0.066 ✓ 0.250 ✓	0.066 0.250
36	कन्हैया लाल पिता हीरालाल जाति बृजा	703/1/2	0.089 ✓	0.051
37	उम्मेदी बाई पत्नि कालूराम दांगी नि.ग्रा.भू.	703/1/4	0.266 ~	0.140
38	भंवर लाल पिता हीरा लाल जाति बृजा	703/2/5/2	0.157 ~	0.051
39	मथरालाल पिता हीरालाल जाति बृजा	703/1/3/2	0.205 ✓	0.205
40	चन्द्र लाल पिता कालूराम दांगी नि.ग्रा.भू.	703/1/1	0.810 ✓	0.300
41	समरथबाई पत्नि श्री धीसालाल खाती नि.ग्रा.भू.	1366/1	0.241 ✓	0.138
		1366/2/1	0.253 ✓	0.170
		1366/2/2	0.253 ✓	0.227
		1366/2/3	0.303 ✓	0.044
		1367/2	0.253 ✓	0.138
42	मोतीलाल पिता हजारी लाल दांगी नि.ग्रा.भू.	1367/1/2	0.506 ✓	0.230
43	हीरालाल, रामगोपाल पिता पूरा लाल जाति तेली नि.ग्रा.भू.	1311	0.253 ✓	0.150
		1312	0.076 ✓	0.038
44	मांगीलाल पिता जालम दांगी नि.ग्रा.भू.	1291/2/1	1.240 ✓	0.909
45	देवचंद पिता बालू जाति चमार नि.ग्रा.भू.	1310	0.468 ✓	0.056
46	जगन्नाथ, रामचन्द्र, बद्री, गंगाराम पिता कालू, गजीबाई बैवा कालू हि. 33 पै. देवराज, घनश्याम पिता ब्रदीलाल सर. माता सुगनबाई पति बद्रीलाल हि. 34 पै. शंभू पिता सालगराम हि. 33 पै. नि.ग्रा.भू.	1365	2.224 ✓	0.430
47	गीताबाई बैवा प्रेमनारायण खाती नि.ग्रा.भू.	1284/3	0.063 ✓	0.005
		1246/3	0.097 ✓	0.055
		1234/1	0.076 ✓	0.051
		1233/1	0.042 ✓	0.042
		1226/3	0.152 ✓	0.031
48	हरकिशन, कांता प्रसाद पिता गंगाधर खाती नि.ग्रा.भू.	1283	0.354 ✓	0.252
		1229	0.190 ✓	0.050
		1230	0.051 ✓	0.014
		1231	0.038 ✓	0.038
		1232	0.101 ✓	0.088

49	भवरीबाई पिता हीरालाल ,सोदरीबाई बैवा हीरालाल हि. 50 पैसे. पन्ना ,प्रेम पिता नाथू ईशर,दरियाव पिता हजारीलाल हि. 25 पैसे भागीरथ पिता धीसा, सर.माता धीसीबाई बैवा धीसालाल ,वेनसिंह पिता रामचन्द्र हि. 25 पैसे जाति खाती नि.ग्रा.भू.	1243	0.013 ✓	0.013
		1244	0.063 ✓	0.063
50	कैलाशनारायण ,कृष्णबल्लभ ,जगदीश पिता रामप्रसाद जाति खाती नि.ग्रा.भू.	1228/1	0.735 ✓	0.019
51	बद्री लाल पिता धीसालाल जाति खाती	955	0.683 ✓	0.400
52	भंवरलाल पिता धीसालाल ,ना.बा. मुकेश पिता बापूलाल,रामकलीबाई पुत्री बापूलाल हि. 66 पै. शांतिबाई पुत्री धीसालाल हि. 34 पै. जाति खाती	953/1	0.632 ✓	0.090
		957	0.063 ✓	0.030
		959	0.114 ✓	0.082
53	रामचरण पिता मांगीलाल जाति खाती नि.ग्रा.भू.	954	0.316 ✓	0.250
54	बापूलाल पिता पन्ना लाल जाति खाती नि.ग्रा.	960	0.304 ✓	0.269
55	लीलाबाई पति हरिनारायण जाति खाती नि.ग्रा.भू.	958	0.139 ✓	0.055
56	मांगया पिता गोपीलाल दांगी नि.ग्रा.भू.	973	0.038 ✓	0.038
57	द्वारका प्रसाद पिता गोपीलाल खाती नि.ग्रा.भू.	975	0.152 ✓	0.070
58	शिव नारायण पिता देवबक्ष खाती नि.ग्रा.भू.	956/2	0.101 ✓	0.070
		961	0.354 ✓	0.002
		965	0.392 ✓	0.231
		967	0.253 ✓	0.251
59	राधेश्याम, भगवत पिता बापूलाल, उमराव ,कमोद, प्रेम पिता पन्ना जाति खाती नि.ग्रा.भू.	966	0.253 ✓	0.183
60	गाविंद प्रसाद पिता हजारी लाल जाति खाती नि.ग्रा.भू.	956/1	0.101 ✓	0.025
		985/2	0.126 ✓	0.126
61	गोपाल, रामदास पिता जगदीश, मु. अयौध्या बाई पति जगदीश, कैलाश, राधेश्याम पिता रामचन्द्र जाति खाती नि.ग्रा.भू.	956/3	0.102 ✓	0.090
62	हरिनारायण ,रामगोपाल पिता ईशरलाल जाति खाती नि.ग्रा.भू.	985/1	0.127 ✓	0.091
63	देवराज पिता रामप्रसाद जाति दांगी. नि.ग्रा.भू.	626/2	0.537 ✓	0.063

64	जगदीश पिता रामप्रसाद जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	626/3	0.538 ।	0.257
65	रामस्वरूप पिता रामप्रसाद जाति दांगी	974/1	0.057 ।	0.057
		969/1	0.189 ।	0.114
66	दौलतराम, लक्ष्मीनारायण पिता देवीराम दांगी नि.ग्रा.भू.	968	0.025 ।	0.025
		974/2	0.057 ।	0.057
		969/2	0.140 ।	0.050
		1479/2	0.240 ।	0.005
67	अंकिता पिता प्रभुलाल खाती नि.ग्रा.भू.	1480	0.177 ।	0.056
68	दयाराम पिता कालू जाति खाती नि.ग्रा.भू.	1855/1480	0.177 ।	0.087
		1857/1498	0.266 ।	0.078
69	चन्द्रलाल पिता कालूराम दांगी नि.ग्रा.भू.	1498	0.266 ।	0.192
70	प्रेमनारायण, गुरुप्रशाद, राजाराम, रामगोपाल पिता हजारी, अनारबाई बैवा हजारी जाति खाती नि.ग्रा.भू.	1858/1498/3	0.261 ।	0.024
71	पन्ना, प्रेम पिता नाथू कमला, सौदरी पुत्री नाथू हि. 34 पै. हरिनारायण, रामगोपाल पिता ईशर गोकुल, लक्ष्मी पुत्री ईशर, सरजूबाई बैवा ईशर दरियाव पिता हजारी हि. 66 पै. जाति खाती	1503	2.972 ।	0.420
		1504	0.367 ।	0.204
72	रामबाबू, रामभरोसा, शिवचरण पिता उमराव मु. धनीबाई बैवा उमराव जाति खाती नि.ग्रा.भू.	1505	0.721 ।	0.266
73	रमेशचन्द्र पिता हजारीलाल जाति खाती नि.ग्रा.भू.	1508	1.151 ।	0.040
		1511	0.089 ।	0.002
74	मोहन लाल पिता हजारी लाल खाती	1512	0.822 ।	0.004
75	भेरूसिंह, मोतीसिंह पिता भागीरथ जाति खाती नि.ग्रा.भू.	1509	0.126 ।	0.120
		1518/1	0.603 ।	0.290
76	पुरषोत्तोम, गोपाल पिता गंगाधर मु. सुन्दबाई बैवा गंगाधर जाति खाती नि.ग्रा.भू.	1517	0.417 ।	0.345
77	विष्णुप्रसाद पिता पन्नालाल जाति खाती	1510/1	0.038 ।	0.038
		1516/2/1	0.146 ।	0.026
		1518/3/1	0.302 ।	0.140
		1518/2/1	0.506 ।	0.270

78	प्रेमनारायण पिता पन्नालाल जाति खाती	1510/2	0.038 -	0.038
		1516/2/2	0.145 -	0.026
		1518/3/2	0.301 -	0.140
79	चेनसिंह पिता रामचन्द्र भागीरथ पिता धीसालाल , मु. धीसाबाई बैवा धीसालाल सर.माता खुद जाति खाती नि.ग्रा.भू.	1519	2.340 -	0.111
80	विष्णुप्रसाद ,देवीसिंह पिता जगन्नाथ ,धापूलाई बैवा जगन्नाथ हि. 15 पै. बालाप्रसाद, हरिप्रसाद, द्वारकाप्रसाद,रमेश पिता गोपीलाल मु. चंदा बैवा कन्हैया मु.रम्भा बैवा गोपीलाल हि. 85 पै. जाति खाती नि.ग्रा.भू.	1521	2.845 -	0.404
81	बापूलाल पिता पन्ना ,रामचरण पिता मांगीलाल,शिवनारायण पिता देवबक्ष ,लक्ष्मीनारायण ,रमेश ,गोविन्द, मोहन पिता हजारीलाल ,रामचन्द्र पिता देवीराम हि. 50 पै. भंवरलाल ,रामप्रसाद ,बापूलाल पिता धीसा जाति खाती नि.ग्रा.भू. शांतिबाई पुत्री धीसा हि. 50 पै. जाति खाती नि.ग्रा.	952	0.139 -	0.003
82	उम्मेदीबाई पत्नि हीरालाल जाति बृजा नि.ग्रा.भू.	704	0.063 -	0.009
योग:-		किता-134	47.640	18.468

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील व्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

## क्रमांक 17690.—

क्रमांक /भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेलवे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम किशनपुरिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## —: अनुसूची :-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेलवे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि :-ग्राम किशनपुरिया				
स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्षा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	प्रभुनाथ सिंह, जगदिशसिंह, गोविन्दकुआंर गिराज सिंहपिता नारायण सिंह तेजकवर बेवा नारायण सिंह जाति राजपूत	54/8	6.070 ✓	1.166
2	मांगीलाल पिता अनारजी जाति राजपूत	54/5	5.059 ✓	0.860
3	गंगाराम पिता भेरु	54/4/1	0.506 ✓	0.130
4	रामनारायण पिता भेरु	54/4/5	0.506 ✓	0.131
5	जगन्नाथ प्रभुलाल रामचरण पिता भंवरिया रमकू बाई बेवा भंवरिया जाति लोडा	54//2/1	2.529 ✓	0.707
6	देवसिंह पिता राम सिंह जाति लोडा	54/1/9	1.216 ✓	0.188
7	गोरेलाल पिता पेमा	54/3/4	0.316 ✓	0.316
8	कालू पिता पेमा	54/3/3	0.317 ✓	0.123
9	तुलसीराम पिता धीसा जाति लोडा	54/2/2	0.958 ✓	0.000
10	जगन्नाथ पिता भंवरलाल जाति लोडा	54/1/8	0.298 ✓	0.040
11	प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति लोडा	54/1/7	1.216 ✓	0.218
12	धूलजी पिता गंगाराम	52	0.898 ✓	0.287
13	भंवरिया, किशनलाल, हिरालाल, ग्यारसीराम पिता परथी, राजू बाई बेवा परथी	53	1.012 ✓	0.749
14	बन्दना राजेन्द्र विजयवर्गीय	55/6/1	0.839 ✓	0.201
15	गोपीलाल पिता रायसिंह	55/4/1	1.012 ✓	0.672
16	देवसिंह पिता राम सिंह	55/4/2	1.707 ✓	1.404
	कुल योग :-		24.459	7.191

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 17691.—

क्रमांक /भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम लालगढ़ के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### —: अनुसूची :—

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि :—ग्राम लालगढ़				
स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्षा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	बिहारीलाल पिता रंगलाल जाति दांगी	1 / 2 .1	0.355	0.129
2	कान्ताबाई बेवा राधेश्याम ,उमाशंकर पिता राधेश्याम जाती दांगी	1 / 2 .2	0.657	0.269
3	बिहारीलाल पिता रंगलाल जाति दांगी	2	0.734	0.263
4	बिहारीलाल पिता रंगलाल जाति दांगी	3 / 1	0.600	0.197
5	कान्ताबाई बेवा राधेश्याम ,उमाशंकर पिता राधेश्याम जाती दांगी	3 / 2	1.032	0.320
6	रामचरण पिता जगन्नाथ जाति दांगी	4 / 1 / 2	2.000	0.257
7	उमाशंकर पिता राधेश्याम जाति दांगी	4 / 2 / 2	0.728	0.465
8	केशर बाई बेवा रामरत्न हि 1 / 2, आनन्दकीशोर पिता रामचरण, बृजमोहन पिता दौलतराम, हरिशंकर, प्रेमनारायण वगैरहा	5	0.342	0.013
9	धापू बाई पिता रामचरण जाति दांगी	14	0.949	0.208
10	धापू बाई पिता रामचरण जाति दांगी	16	0.810	0.044
11	विष्णुगिरधारीलाल,प्रेम बाई पिता बद्रिलाल,केशर बाई बेवा बद्रिलाल, हजारीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी	17	0.430	0.375
12	डालू पिता किशना जाति बंजारा	,18/1/2	0.256	0.184
13	विष्णुगिरधारीलाल,प्रेम बाई पिता बद्रिलाल,केशर बाई बेवा बद्रिलाल, हजारीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी	21 / 1	2.023	0.535
14	बैजनाथ,शिवनारायण पिता धीसालाल जाति दांगी	22/2	0.139	0.061
15	कन्हैयालाल पिता भीमा जाति दांगी	23/1	0.184	0.059

८

16	बैजनाथ, शिवनारायण पिता धीसालाल जाति दांगी	23/2	0.183	0.135
17	कन्हैयालाल पिता भीमा जाति दांगी	31/1/1	0.544	0.223
18	कन्हैयालाल पिता भीमा बगैरहा	24/2/1	2.529	0.399
19	बैजनाथ, शिवनारायण पिता धीसालाल जाति दांगी	24/2/2	2.530	0.437
20	धापू बाई पिता रामचरण जाति दांगी	24/1/3	0.937	0.004
21	कन्हैयालाल पिता भीमा जाति दांगी	25 / 1	1.050	0.073
22	बैजनाथ, शिवनारायण पिता धीसालाल जाति दांगी	25 / 2	0.651	0.402
23	भंवरीबाई बेवा रंगलाल जाति दांगी	28/2	1.063	0.223
	कुल रकबा		20.726	5.275

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 17692.—

क्रमांक /भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम पीपल्याखुर्द, के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### —: अनुसूची :—

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि :—ग्राम पीपल्याखुर्द

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	राम बाबुपुण प्रेमसिंह जाति लोडा	254/3/1	2.024	0.247
2	गणपतसिंह दुर्गाप्रसाद, फूलसिंह पिता प्रेमसिंह जाति लोडा	254/3/2	1.770	0.612
3	नोरगं बाई पत्नि पांचूलाल जाति लोडा	255/4	2.000	0.047
4	हरचन्द पिता कालू जाति तंवर	255/1	1.519	0.596
5	नोरगं बाई पत्नि पांचूलाल जाति लोडा	255/2	1.494	0.170
6	रामचन्द, करणसिंह पिता गोपिलाल, रुपा बाई बेवा गोपीलाल जाति लोडा	254/2	8.941	0.097
8	शिवनारायण, चोथमल, ग्यारसीराम, रामप्रसाद धीसा भूली जाति नाई	247/3	1.708	1.500

9	हिरालाल पिता राम लाल, अयोध्या बाई पति हिरालाल जाति चमार	247/5/2	0.592	0.565
10	प्यारजी पिता राम लाल राधाबाई पति प्यारजी	247/5/1	0.420	0.282
11	किशनलाल मांगीलाल तुलसीराम प्यारी हीरालाल पारी बाई पिता रामा मु. दरियाव बाई बेवा रामा जाति चमार	245/2	1.126	0.861
12	कालू दोला प्यारा आ.रामा हिस्सा 50 प. भोना आ. मोती हिस्सा 50 पै.जाति लोडा	246	1.075	0.406
13	मांगीलाल पिता कालू भोनी बाई बेवा कालू खेमचन्द कसू बाई उमरा पिता धोलापुरी पांची बाई भंवरी बाई पिता दोला पानी बाई बेवा दोला गंगाराम पांचा कन्हैया पुरा पिता प्यारा पारबाई बेवा प्यारा	133	0.721	0.721
14	बंशीलाल पिता धन्नालाल	134/1	0.091	0.045
15	रामप्रसाद जाति लोडा	134/2	0.091	0.035
16	पांचुलाल पिता धनालाल	134/3	0.091	0.035
17	रामकिशन पिता धना	134/4	0.090	0.044
18	मांगीलाल पिता धना	134/5	0.091	0.040
19	मदन पिता धना	134/6	0.090	0.032
20	रामचन्द्र,करणसिंह पिता गोपीलाल,रूपा बाई बेवा गोपीलाल चम्पी	132	0.658	0.134
21	जगन्नाथ उंकार भंवर लाल हरि बंशी पिता रत्ता भूलीबाई बेवा	131	0.670	0.086
22	काशीराम आ. श्रीलाल	130/3	0.253	0.204
23	मांगीलाल पिता हीरालाल	130/2	0.253	0.212
24	भेरुलाल आ. हीरालाल	130/1	0.253	0.153
25	भेरुलाल आ. हीरालाल	129/1	0.312	0.165
26	रामकीशन पिता मांगीलाल	128	0.152	0.152
27	रामकिशन पिता मांगीलाल जाति लोडा	127	0.354	0.354
28	विजयसिंह पिता हरचन्द जाति लोडा	126	0.417	0.395
29	मांगीलाल आ. कालू खेमजी आ. दोला गंगाराम प्यारा जाति लोडा	125	0.190	0.027
30	मोती पिता नवल कालू कन्हैयालाल पिता मोतीलाल प्रेमबाई बेवा मांगीलाल	124	0.582	0.162
31	श्रीमति गंगा बाई पति हरिसिंह जाति लोडा	123	0.531	0.055
	कुल रकबा		28.559	8.431

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 17693.—

क्रमांक /भू-अर्जन/2015 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित शेष भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की समाधान है।

प्रकरण क्रमांक ..... / ..... / ..... चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पिपल्याकुमार तालाब की नहर निमार्ण तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम पीपल्या एवं टोड़री के लिए आवश्यक वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्व कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि इस लघु सिंचाई योजना में प्रभावित व्यक्तियों के विस्थापन एवं पुनर्वासन की आवश्यकता न होने के कारण सामाजिक समाधान रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

## —: अनुसूची ( 1 ) :—

पिपल्याकुमार तालाब की नहर में प्रभावित शेष भूमि

तहसील :— राजगढ़

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		सिंचित	असिंचित	योग
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
1	पिपल्या	0.000	0.140	0.140
2	टोड़री	0.240	0.000	0.240
	कुल योग :-	0.240	0.140	0.380

## —: अनुसूची ( 2 ) :—

पिपल्याकुमार तालाब की नहर में प्रभावित शेष भूमि का भू-अर्जन ग्राम पीपल्या

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्व नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	मांगीलाल, नारायणसिंह पिता नाथूलाल जाति सौंधिया, नि. ग्राम टांडी भूमि स्वामी	5 /	0.253 /	0.140
	योग:-	1	0.253	0.140
	कुल योग :-	1	0.253	0.140

पिपल्याकुमार तालाब की नहर में प्रभावित शेष भूमि का भू-अर्जन ग्राम टोड़री

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	पूरीबाई पति हिन्दूसिंह, कमलबाई पति प्यारजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	184/1 /	0.696 /	0.050
	योग:-	1	0.696	0.050
2	प्यारजी पिता पूरजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	184/2 /	0.090 /	0.090
	योग:-	1	0.090	0.090
3	लाखनसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	182/1 /	0.759 /	0.100
	योग:-	1	0.759	0.100
	महायोग:-	3	1.545	0.240

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू—अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

#### क्रमांक 17694.—

क्रमांक /भू—अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके सलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की सभावना है।

प्रकरण क्रमांक ..../अ—82/2016 –2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में बांकपुरा सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ की बांयी नहर में ग्राम जोगीदाता के लिए प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा—11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि बांकपुरा सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा—11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

#### —: अनुसूची ( 1 ) :—

बांकपुरा सिंचाई परियोजना की बांयी नहर में प्रभावित भूमि

संक्र.	विवरण	अर्जनीय रकबा	योग
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
1	जोगीदाता	2.330	2.330

#### —: अनुसूची ( 2 ) :—

बांकपुरा सिंचाई परियोजना की बांयी नहर में प्रभावित भूमि ग्राम जोगीदाता

तहसील :— राजगढ़

जिला :— राजगढ़

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	वंदोवस्ती भूमि का विवरण (हे.मे.)		अर्जनीय रकबा	योग
		सर्वे नंबर	कुल रकबा		
1	2	3	4	5	6
1	कालू पिता मोती जाति सौंधिया नि.ग्राम बांकपुरा भू—स्वामी	44/1/3	1.897	0.350	0.350
	योग	1	1.897	0.350	0.350

2	भंवरलाल पिता हीरालाल, नौरंगबाई पत्नि दरियावसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम बांकपुरा भू-स्वामी	43/1	2.971	0.315	0.315
	योग	1	2.971	0.315	0.315
3	प्रेमसिंह नारायणसिंह पिता किशोर जाति गुर्जर ग्राम बोरदा भू-स्वामी	43/2	2.530	0.185	0.185
	योग	1	2.530	0.185	0.185
4	सुमेरसिंह पिता खुशाल, कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर ग्राम जोगीदाता भू-स्वामी	25/7/1/2	1.771	0.765	0.765
	योग	1	1.771	0.765	0.765
संकेत	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	वदोबरस्ती भूमि का विवरण (हेक्टर)	अर्जनीय रकवा	योग	
1	2	सर्वे नंबर	कुल रकवा	5	6
5	विजयसिंह पिता मांगीलाल, सुमेरसिंह पिता खुशाल, राजू जिता रामचरण जाति गुर्जर ग्राम जोगीदाता भू-स्वामी	25/1/1/4	1.304	0.090	0.090
	योग	1	1.304	0.090	0.090
6	खुशाल, रामचरण पिता सदा, कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर ग्राम जोगीदाता भू-स्वामी	25/3/2	2.529	0.075	0.075
	योग	1	2.529	0.075	0.075
7	खुशाल, रामचरण पिता सदाराम जाति गुर्जर ग्राम जोगीदाता भू-स्वामी	25/3/1	2.782	0.550	0.550
	योग	1	2.782	0.550	0.550
	कुलयोग :-	7	15.784	2.330	2.330

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-बड़नगर,  
जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

क्रमांक भू-अर्जन/2017-रा.प्र.क्र. 01-अ-82-2016-17

बड़नगर, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

**प्ररूप— “घ”**  
**{ नियम— 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 914/भू-अर्जन/2017, बड़नगर, दिनांक 20/07/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बौद्धी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— इंगोरिया, तहसील— बड़नगर, जिला-उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.07.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	बड़नगर	निम्बोदा प.ह.नं.— 72	74/1	0.048
			74/2	0.001
			74/3	0.064

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5		
उज्जैन	बड़नगर	निम्बोदा प.ह.नं.- 72	75/1	0.022		
			75/2			
			75/3			
			76/2	0.043		
			81	0.053		
			83/4	0.029		
			84	0.037		
			85	0.040		
			86	0.035		
			87	0.026		
			106/1	0.070		
			कुल योग	14		
				0.468		

राजस्व प्रकरण क्रमांक 02-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 914/भू-अर्जन/2017, बड़नगर, दिनांक 20/07/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बौद्धी तट बहाव की सुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.07.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	बड़नगर	घड़सिंगा प.ह.नं.- 73	1/2	0.225
			2	0.071

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
			4	0.144
			5	0.004
			6	0.004
			198	0.084
			205/2	0.104
			205/3	0.116
			205/4	0.105
उज्जैन	बड़नगर	घड़सिंगा प.ह.नं. - 73	206/1/1	0.043
			206/1/2	0.025
			206/2	0.063
			207/3	0.003
			207/4	0.007
			207/5	0.017
			293	0.032
			295	0.005
			294/1/3	0.068
			294/6	
			294/3	0.23
			294/4	0.046
			299/1	0.097
			299/2	0.111
			315	0.031
			320/5/1	0.003
			316	0.070
			317	0.011
			320/3	0.035
			331	0.046
			329	0.011
			330/1/1	0.052
			330/1/2	0.027
			334	0.064
			330/3	0.003
			330/4/3	0.011
			335	0.029
			336/1	0.027
			336/2	0.020
			348	0.025
			368	0.083
			369	0.155
			370/2	0.006
कुल योग			42	2.106

## राजस्व प्रकरण क्रमांक 03-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-915/भू-अर्जन/2017, बड़नगर, दिनांक 20/07/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंगीर लिंक परियोजना की बौद्धी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला-उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.07.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अंजित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	बड़नगर	बलेड़ी प.ह.नं.- 49	956/1916	0.034
			959/2	0.003
			957	0.053
			957/1915	0.049
			959/1	0.011
उज्जैन	बड़नगर	बलेड़ी प.ह.नं.- 49	960	0.108
			963	0.064
			964/1	0.095
			975/1	0.059
			975/2	0.042
			976/3	0.020
			976/1	0.119
			976/2	0.076
			980	0.008
			1026/1	0.028
कुल योग			15	0.769

राजस्व प्रकरण क्रमांक 04-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 918/भू-अर्जन/2017, बड़नगर, दिनांक 20/07/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बौद्धी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.07.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	बड़नगर	चिकली प.ह.नं.- 70	2	0.002
			117/1	0.090
			117/2	0.002
			117/3	0.011
			120	0.074

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	बड़नगर	चिकली प.ह.नं.- 70	118	0.090
			121	0.003
			169	0.111
			170/3	0.004
			219/1	0.028
			219/2	0.034
			219/3	0.026
			220/738	0.084
कुल योग			14	0.562

राजस्व प्रकरण क्रमांक 05-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 917/भू-अर्जन/2017, बड़नगर, दिनांक 20/07/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बैंधी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— इंगोरिया, तहसील— बड़नगर, जिला— उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.07.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	बड़नगर	इंगोरिया प.ह.नं.- 69	130	0.002
			134/1	0.053
			132	0.099
			135	0.067
			136	0.012
			140	0.030
			137/2	0.099
			139/4	0.025
			139/1/2	0.014
उज्जैन	बड़नगर	इंगोरिया प.ह.नं.- 69	141/1/2	0.045
			139/3	0.023
			139/2	0.015
			141/1/1	0.001
			174/1	0.032
			174/2	0.046
			175	0.109
			176	0.098
			907	0.038
			177	0.064
			178	0.035
			190	0.002
			191	0.006
			192	0.066
			193	0.044
			872	0.171
			873	0.038
			874/1	0.048
			874/2/2	0.067
			906/1/1	0.004
			906/2	0.035
			906/3	0.015
			908	0.066
			914/1	0.034
			914/2	0.024
			915/2	0.064
			916	0.090
			921/2	0.127
<b>कुल योग</b>			<b>37</b>	<b>1.808</b>

## राजस्व प्रकरण क्रमांक 06-अ-82-2016-17

अतःएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 918/भू-अर्जन/2017, बड़नगर, दिनांक 20/07/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बौद्धी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला-उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.07.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतःएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	बड़नगर	कड़ाई प.ह.नं.- 71	75	0.001
			79	0.056
			80	0.060
			82	0.106
			86	0.120
उज्जैन	बड़नगर	कड़ाई प.ह.नं.- 71	87/1	0.039
			89/5	0.095
			89/6	0.013
			160/2	0.090
			164/1	0.034
			164/2	0.056
			164/3	0.053
			164/4	0.043
			166	0.031
कुल योग			14	0.797

राजस्व प्रकरण क्रमांक 07-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 3209/भू—अर्जन/2017, उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— बोरखेड़ा भल्ला, तहसील— घट्टिया, जिला— उज्जैन तक नर्मदा—मालवा—गंभीर लिंक परियोजना की दोयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	काकरिया चीराखान, प.ह.न.—21	498	0.014
			502	0.102
			500/3	0.081
			506/6	0.066
			506/5	0.008

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	काकरिया चीराखान, प.ह.न.—21	505/1	0.085
			506/1	0.036
			506/2	0.040
			506/3	0.038
			506/4	0.035
			260/4/Min1	0.045
			260/5	0.004
			260/6	0.001
			260/2	0.004
			260/3	0.046
			256	0.033
			254/1	0.062
			254/2	0.050
			255	0.036
			253	0.103
			252	0.060
			251	0.079
			217/1	0.047
			217/3	0.060
			217/2	0.017
			215	0.112
			205/3	0.119
			205/5	0.068
			205/4	0.071
			200/2	0.057
			200/4	0.015
			205/2	0.042

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी बल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	काकरिया चीराखान, प.ह.न.-21	205/1 200/3/Min-2 200/3/Min-1 200/5 200/1 194 193 192 187/1 187/3 187/2/Min-2 191 187/2/Min-1 185/1 184 183/5 180/1 182 179/2 178 179/1	0.066 0.016 0.016 0.017 0.043 0.037 0.030 0.067 0.039 0.022 0.063 0.026 0.203 0.099 0.158 0.104 0.102 0.082 0.103 0.028 0.010
			कुल योग	53 2.967

राजस्व प्रकरण क्रमांक 08-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 3211/भू—अर्जन/2017, उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— बोरखेड़ा भल्ला, तहसील— घट्टिया, जिला— उज्जैन तक नर्मदा—मालवा—गंभीर लिंक परियोजना की दौरी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	जलालखेड़ी, प.ह.न.—02	261/1	0.136
			260	0.011
			263/1	0.038
			263/2	0.106
			264/2	0.021
उज्जैन	उज्जैन	जलालखेड़ी, प.ह.न.—02	264/1	0.126
			265/3	0.003
			265/1	0.107
			246/3	0.016
			246/306	0.070
			266/1	0.186
			169/1	0.026
			170/1	0.115
			172/3/1	0.156
			175/2/1	0.148
			23/1	0.074
			24	0.082
			25	0.098
			26	0.072
			31/1	0.093
			28/2	0.009
<b>कुल योग</b>			<b>21</b>	<b>1.693</b>

## राजस्व प्रकरण क्रमांक 09-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक—3207/भू—अर्जन/2017, उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम—बड़ीकलमेर तहसील, हातोद जिला इन्दौर से ग्राम—बोरखेड़ा भल्ला, तहसील—घट्टिया, जिला—उज्जैन तक नर्मदा—मालवा—गंभीर लिंक परियोजना की दौंयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	गोदिया, प.ह.न.—11	701/3/1 699/1 704/1 696/2 696/1	0.124 0.044 0.048 0.116 0.008

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	गोंदिया, प.ह.न.-11	695	0.127
			663	0.039
			662	0.027
			647	0.216
			644	0.087
			638/4/2	0.036
			639/2/3	0.028
			637/3/1	0.006
			638/3/2	0.008
			634/1	0.049
			638/3/3	0.027
			634/3	0.032
			636/1	0.053
			637/1	0.002
			638/2/1	0.057
			637/3/2	0.027
			638/1	0.005
			636/2	0.007
			637/2	0.040
			634/2	0.039
			560/4	0.010
		कुल योग	26	1.262

राजस्व प्रकरण क्रमांक 10-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 3205/भू-अर्जन/2017, उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौर्यी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	चिंतामण जवासिया, प.ह.न.-04	54	0.025
			842	0.078
			843	0.033
			840/1	0.001
			836	0.048
उज्जैन	उज्जैन	चिंतामण जवासिया, प.ह.न.-04	835	0.057
			846	0.078
			847/1	0.006
			834	0.004
			848/2	0.005
			832	0.096
			830/3	0.042
			830/2	0.034
			830/1	0.051
			827/1	0.056
			827/2	0.048
			818	0.199
			820/2/2	0.027
			821/2	0.051
			820/2/1	0.038
			822	0.006
			806/1/1	0.106
			806/1/2/1	0.044
			803/1	0.115
			798/2	0.119
			801/3	0.079

जिला	तहसील	गाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अंजित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
			801/1	0.080
			801/4	0.082
			801/5/2	0.024
			801/5/1	0.029
			801/2	0.031
			687/1/2	0.088
			685	0.135
			684/2	0.069
			684/1	0.022
			683/4	0.012
			683/3	0.082
			683/2/2	0.005
			683/2/1	0.055
			683/1	0.021
			682/4	0.032
			681/1/4	0.036
			682/3	0.021
उज्जैन	उज्जैन	चिंतामण जवासिया, प.ह.न.-04	681/1/2	0.018
			682/2	0.023
			681/1/1	0.014
			680/1	0.034
			679/1	0.073
			682/1	0.034
			681/1/3	0.037
			677/1	0.027
			677/2	0.090
			11	0.004
			10	0.008
			9	0.005
			8	0.098
			4/2	0.034
			4/1	0.004
			3	0.029
कुल योग			59	2.802

राजस्व प्रकरण क्रमांक 11-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 3203/भू-अर्जन/2017, उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौर्यी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संविधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्पा कर इसकी सूचना भूमिरवामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	चंदूखेड़ी, प.ह.न.-02	314/2	0.068
			315/2	0.005
			314/1/3	0.002
			315/1/3	0.020
			315/1/1	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	चंदूखेड़ी, प.ह.न.-02	315/1/2	0.021
			313/1	0.068
			313/2	0.067
			313/3	0.060
			310/2	0.065
			307/1	0.139
			307/2	0.124
			284/2/1	0.054
			283	0.048
			264/2	0.086
			267	0.094
			266/2/2	0.035
			266/2/1	0.150
		कुल योग	18	1.126

राजस्व प्रकरण क्रमांक 12-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 3199/भू—अर्जन/2017, उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— बोरखेड़ा भल्ला, तहसील— घट्टिया, जिला— उज्जैन तक नर्मदा—मालवा—गंभीर लिंक परियोजना की दौर्यी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	तालोद प.ह.न.—09	316	0.071
कुल योग			1	0.071

राजस्व प्रकरण क्रमांक 13-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 3197/भू-अर्जन/2017, उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौँयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	रत्नाखेड़ी प.ह.न.-10	240/5	0.077
			240/4/Min-2	0.012
			240/4/Min-1	0.041
			240/2	0.098
			53	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	रत्नाखेड़ी प.ह.न.-10	54/2	0.093
			48	0.110
			50	0.195
			46/4	0.004
			47	0.068
			41/2/2	0.060
			39/1	0.130
			38/1	0.015
			13	0.023
			12	0.109
			14/3	0.004
			4	0.128
			3	0.077
कुल योग			18	1.264

राजस्व प्रकरण क्रमांक 14-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 3201/भू-अर्जन/2017, उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौर्यी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	राणाबड़ प.ह.न.-10	44	0.114
			34	0.037
			32/1	0.082
			33/2	0.027
			30/1	0.095
उज्जैन	उज्जैन	राणाबड़ प.ह.न.-10	29	0.126
			26	0.064
			24/2	0.076
			24/1	0.084
			20	0.114
			19	0.167
कुल योग			11	0.986

राजस्व प्रकरण क्रमांक 15-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 3213/भू—अर्जन/2017, उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— बोरखेड़ा भल्ला, तहसील— घट्टिया, जिला— उज्जैन तक नर्मदा—मालवा—गंभीर लिंक परियोजना की दोई तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	मंगरोला, प.ह.न.—03	333	0.028
			330	0.031
			331	0.051
			332	0.040
			328/2/2/1	0.105
			328/2/1	0.042
			328/1	0.002
कुल योग			7	0.299

राजस्व प्रकरण क्रमांक 16-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 3195/भू-अर्जन/2017, उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौँयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	लेकोड़ा प.ह.न.-12	2875	0.050
			2870/2	0.083
			2870/1	0.037
			2869	0.040
			2868	0.044

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	लेकोड़ा प.ह.न.-12	396	0.024
			407/2	0.038
			410/2	0.020
			2866/2	0.017
			2865/1	0.084
			2866/1	0.065
			2735	0.008
			2739	0.092
			2740	0.056
			2741	0.059
			2788	0.049
			2789	0.039
			2764	0.081
			2766/2	0.017
			2766/1	0.025
			2768/2	0.021
			2768/3	0.018
			2768/4	0.020
			2768/1	0.059
			2790	0.027
			2793/1	0.094
			2793/2/1	0.057
			1241	0.024
			1252	0.090
			2793/2/2	0.024
			1243	0.017
			1242/1	0.023
			1242/3	0.029
			1242/2	0.040
			1246	0.068
			1248	0.007
			1251	0.015
			1226/5	0.034
			1250	0.025
			1227/1	0.012
			1226/3	0.002
			1226/4	0.075

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	लेकोड़ा प.ह.न.-12	1224/1	0.075
			1219	0.061
			1225	0.018
			1216	0.050
			1215	0.069
			755	0.076
			1218	0.015
			764/2	0.077
			763/2	0.074
			757	0.084
			758	0.070
			754/2	0.006
			750/2878	0.028
			750	0.026
			749	0.023
			748	0.052
			746	0.055
			737	0.098
			736/2	0.023
			1247/2	0.009
			736/1	0.024
			1247/1	0.056
			735	0.046
			445	0.095
			394	0.020
			419	0.009
			466/4	0.100
			467/3	0.060
			468	0.120
			434/2	0.015
			435	0.019
			433	0.029
			434/1	0.004
			432/2	0.020
			427/2/2	0.013
			432/1	0.020
			427/1	0.025

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	लेकोड़ा प.ह.न.-12	427/2/1	0.012
			425/1	0.003
			424	0.127
			423	0.013
			407/1	0.016
			409/2/1	0.001
			422/1	0.001
			418	0.018
			411	0.047
			410/1	0.022
			397	0.034
			395/1	0.003
			395	0.040
			386	0.067
			383/1	0.024
			383/2	0.055
			378/2	0.057
			378/1	0.023
			380	0.147
			7	0.084
			31	0.122
			3/1	0.052
			3/2	
			4	0.210
			6	0.172
		कुल योग	104	4.723

शितिज शर्मा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्र. एफ 15-16-2017-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20, सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. (2) में वर्णित के लिये कॉलम नं. (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :—

### अनुसूची

तहसील आरोन, जिला गुना

क्रमांक	ग्राम का नाम, प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
01	01. ग्राम रामगिरकलां 02. प.ह.नं. 21.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला गुना, मध्यप्रदेश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भारती ओगरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्र. एफ 15-16-2017-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-16-2017-सात-6, दिनांक 30 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भारती ओगरे, उपसचिव.

Bhopal, the 30th October 2017

No. F. 15-16-2017-VII-Sec.6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof :—

### SCHEDULE

#### Tahsil-Aron, District-Guna

Serial No.	Name of village (s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
01	01. Village-Ramgirkalan 02. P.C.No. 21.	Superintendent of Land Records, District -Guna.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
BHARTI OGREY, Dy. Secy.

## राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 12 सितम्बर 2017

पत्र क्र. 525-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) रीवा	(2) हुजूर	(3) रतहरा	(4) 0.190	(5) कार्यपालन यंत्री, म. प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम रीवा, संभाग, रीवा.	(6) रतहरा रीवा में विध्या रिट्रीट एवं फूड क्राप्ट इंस्टीट्यूट को रिंग रोड से जोड़ने हेतु भूमि अधिग्रहण विषयक.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, रीवा संभाग, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

पन्ना, दिनांक 25 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 32-अ-82-वर्ष 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1) पन्ना	(2) गुनौर	(3) मुड़वारी	(4) निजी भूमि रकबा 16.020 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.000  कुल रकबा 17.020 हैं।	(5) कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पवर्झ।	(6) पवर्झ मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवर्झ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पन्ना, दिनांक 9 अक्टूबर 2017

प्र. क्र. 05-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	खिरवा	निजी भूमि रक्का 0.538 एवं शासकीय भूमि रक्का 0.00 <b>कुल रक्का 0.538</b>	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, पन्ना.	अमानगंज से झिरघाट मार्ग वायां कटकहा-तुना-खिरवा मार्ग लम्बाई 8.7 कि. मी. मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 04-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	कटकहा	निजी भूमि रक्का 0.038 एवं शासकीय भूमि रक्का 0.00 <b>कुल रक्का 0.038 हैं।</b>	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, पन्ना.	अमानगंज से झिरघाट मार्ग वायां कटकहा-तुना-खिरवा मार्ग लम्बाई 8.7 कि. मी. मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 28 सितम्बर 2017

क्र. 2571-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा मौयनर नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाजात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाजात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	खैरलौजी	झिरिया	रकबा 0.141 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी, जिला बालाघाट।	मायनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

- (2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [dm balaghat@nic. in](http://www.mprevenue.nic.in/) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. व्ही. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 12 अक्टूबर 2017

पत्र क्र. 1689-प्रशा. भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि खम्हरिया माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है। इस कारण अधिनियम की धारा-4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

**अनुसूची**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 12 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(5)
(1) सतना	(2) रघुराजनगर	(3) जमोड़ी	(4) 0.934	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र.-2 सतना (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर की खम्हरिया माइनर में आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1687-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि अपर पुरवा नहर संभाग माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से निर्माण चल रहा है। तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

**अनुसूची**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(5)
(1) रीवा	(2) हुजूर	(3) दादर	(4) 0.354	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत नौबस्ता वितरक की दादर सब नं. 1 माइनर एवं नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव।

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ-82-2017-18-3794.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	धुरवार	0.768	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल, म. प्र.	हरदी जलाशय योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान)कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82-2017-18-3793.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	हरदी	2.143	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल, (म. प्र.)	हरदी जलाशय योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान)कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

शहडोल, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 03-अ-82-2017-18-3921.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2)

के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	डोम्हार	5.874	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल, (म. प्र.)	ओदारी डायवर्सन योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान)कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 04-अ-82-2017-18-3920.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	मुदरियाटोला	3.998	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल, (म. प्र.)	ओदारी डायवर्सन योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान)कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 05-अ-82-2017-18-3922.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	वनसुकली	1.734	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल, (म. प्र.)	ओदारी डायवर्सन योजना के निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान)कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 25 अक्टूबर 2017

नस्ती क्र. 90-एल.ए.-2016-2017-भू-अर्जन प्र. क्र. 0001-अ-82-2016-17.—कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, खण्डवा द्वारा, पलासी लघु सिंचाई तालाब के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम नावली, प. ह. नं. 16, तहसील खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल क्षेत्रफल 68.31 हेक्टेयर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अभिषेकसिंह, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य, मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्र. 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँः—

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	16	नावली	68.31 हे.	पलासी लघु सिंचाई तालाब के शीर्ष कार्य हेतु
योग . . .						68.31

नोटः—1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र. 90-एल.ए.-2016-2017-भू-अर्जन प्र. क्र. 0001-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हैः—

प्रस्तावित पलासी लघु सिंचाई तालाब के शीर्ष कार्य की प्रकृति लोक हित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	नावली	68.31	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा।	पलासी लघु सिंचाई तालाब के शीर्ष कार्य हेतु,

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार।

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

### सूचना

**क्रमांक एफ 1-7-2017-सात-शा.6-1188.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन थिण्ड जिले की तहसील गोहद एवं तहसील मौ की सीमाओं को परिवर्तित करने हेतु नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।**

(2) मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :—

### अनुसूची

क्रमांक (1)	वर्तमान तहसील (2)	परिवर्तन का स्वरूप (3)	सीमाएं (4)
1	मौ	<p>वर्तमान तहसील मौ के राजस्व निरीक्षक, वृत्त देहगांव के पटवारी हल्का नम्बर 61 से 62 अपवर्जित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार तहसील मौ में कुल 30 पटवारी हल्के, जिनमें 80 ग्राम होंगे, शेष रहेंगे।</p>	<p>पूर्व में—तहसील मेहगांव एवं तहसील सेवढ़ा।</p> <p>पश्चिम में—तहसील गोहद</p> <p>उत्तर में—तहसील मेहगांव</p> <p>दक्षिण में—तहसील ग्वालियर,</p>
2	गोहद	<p>वर्तमान तहसील गोहद में वर्तमान तहसील मौ के राजस्व निरीक्षक, वृत्त देहगांव के पटवारी हल्का नम्बर 61 से 62 समाहित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार तहसील गोहद में कुल 31 पटवारी हल्के, जिनमें 62 ग्राम हो जाएंगे।</p>	<p>पूर्व में—तहसील मौ</p> <p>पश्चिम में—तहसील मुरैना</p> <p>उत्तर में—तहसील अम्बाह एवं तहसील मेहगांव।</p> <p>दक्षिण में—तहसील ग्वालियर।</p>

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि जनसाधारण की सुविधा एवं क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप में किया जा सके।

## राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 मार्च 2017

क्र. 472.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

**अनुसूची**

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व.प.ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह. नं. (1)
ग्राम बागांई, प.ह. नं. 23 से	ग्राम-पाचाढाना, प.ह. नं. 23
पृथक् किया गया क्षेत्रफल	
385.564 हेक्टेयर	

छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्र. 1724.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

**अनुसूची**

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व.प.ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह. नं. (1)
ग्राम मानेगाव, प.ह. नं. 40 से	ग्राम-नांदिया, प.ह. नं. 40
पृथक् किया गया क्षेत्रफल	
415.717 हेक्टेयर	
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
जे.के.जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 12 अक्टूबर 2017

पत्र क्र. 1679-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—रहट
- (घ) क्षेत्रफल—3.316 हेक्टेयर.

खसरा नं.	एरिया (हेक्टेयर में)
----------	----------------------

खसरा नं.	एरिया (हेक्टेयर में)
446	0.122
445	0.127
444	0.085
443	0.112
442	0.014
435	0.056
439	0.120
437	0.063
438	0.058
384	0.107
382	0.092
381	0.040
390	0.038
380	0.008
391	0.023
395	0.077
398	0.072
399	0.062

(1)	(2)	
428	0.088	
416	0.115	
418	0.037	
586	0.030	
587	0.066	
588	0.004	
589	0.051	
594	0.136	(1) भूमि का वर्णन—
600	0.091	(क) ज़िला—रीवा
602	0.112	(ख) तहसील—हुजूर
603	0.038	(ग) ग्राम—कठार
275	0.020	(घ) क्षेत्रफल—1.670 हेक्टेयर.
277	0.052	खसरा नं. एरिया (हेक्टेयर में)
278	0.004	(1) (2)
280	0.072	363 0.059
295	0.072	361 0.112
299	0.020	340 0.040
294	0.070	341 0.040
583	0.014	339 0.021
585	0.088	342 0.002
581	0.230	336 0.078
579	0.070	332 0.078
591	0.066	333 0.003
592	0.004	260 0.020
578	0.254	261 0.120
525	0.052	274 0.038
575	0.152	270 0.007
553	0.032	202 0.292
योग	<u>3.316</u>	176 0.028
		178 0.024
		179 0.045
		192 0.026
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना की नौबत्ता वितरण की दादर माइनर एक्सटेंशन, कठार सब माइनर की रत्नेंगी, मरहा माइनर नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.	190 0.054	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	189 0.020 183 0.028 184 0.020 185 0.045 186 0.012 134 0.084 106 0.045	

पत्र क्र. 1681-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) ज़िला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—कठार
- (घ) क्षेत्रफल—1.670 हेक्टेयर.

(1)	(2)	(1)	(2)
108	0.016	70	0.008
109	0.022	67	0.044
110	0.016	66	0.075
105	0.020	115	0.068
104	0.004	116	0.006
102	0.062	114	0.038
44	0.015	104	0.040
40	0.100	112	0.018
36	0.024	108	0.010
38	0.040	109	0.084
323	0.006	131	0.012
103	0.004	132	0.025
योग	<u>1.670</u>	133	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—बाणसागर परियोजना की नौबस्ता वितरण नहर की कठार माइनर की कठार सब माइनर के नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1683-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है।—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—मरहा
- (घ) क्षेत्रफल—1.644 हेक्टेयर।

खसरा नं. एरिया (हेक्टेयर में)

(1)	(2)		
28	0.112	योग	<u>1.644</u>
39	0.266		
73	0.084		
72	0.005		
71	0.100		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—बाणसागर परियोजना की नौबस्ता वितरण नहर की मरहा माइनर नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1685-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—रंगौली
- (घ) क्षेत्रफल—2.328 हेक्टेयर.

खसरा नं.	एरिया (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
192	0.050
191	0.108
196	0.064
180	0.007
138	0.108
139	0.128
140	0.110
113	0.063
114	0.090
115	0.102
116	0.088
83	0.124
85	0.060
82	0.044
79	0.140
80	0.032
36	0.174
35	0.204
34	0.042
14	0.106
13	0.008
12	0.080
11	0.010
18	0.007

(1)	(2)
10	0.116
9	0.053
4	0.140
78	0.008
84	0.062
योग	2.328

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना की नौबस्ता वितरक नहर की कठार माइनर से कठार सब माइनर नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

प्र. क्र. 56-अ-82-2017-18-अनन्तपुर शिवपुरी.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी
- (ख) तहसील—कोलारस
- (ग) ग्राम—अनन्तपुर
- (घ) क्षेत्रफल—0.180 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
369	0.020
370	0.020
484/2	0.030
484/3	0.040

- | (1)     | (2)          |
|---------|--------------|
| 487     | 0.030        |
| 488/2   | 0.040        |
| योग . . | <u>0.180</u> |
- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—देहरदा ईसागढ़ मार्ग पर पुल के एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कोलारस के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 55-अ-82-2017-18-पचावली शिवपुरी.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी
- (ख) तहसील—कोलारस
- (ग) ग्राम—पचावली
- (घ) क्षेत्रफल—0.890 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
198	0.010
199	0.030
203	0.060
204/2	0.020
204/1	0.020
205	0.110
208	0.060
209	0.100
210	0.280
215/1	0.010
215/2	0.010
215/3	0.010
217	0.160
221	0.010
योग . .	<u>0.890</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—देहरदा ईसागढ़ मार्ग पर पुल के एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कोलारस के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरुण राठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2017

क्र. 95-भू-अर्जन-ई.1-प्र. क्र. 03-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
- (ख) तहसील—पाटन
- (ग) ग्राम—बिलखरवा,(प.ह.नं.16,नं.ब.300), ग.नि.मं.—कटंगी
- (घ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल 0.39 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
62/1	0.39
योग . .	<u>0.39</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खजूरी विताण नहर निर्माण हेतु।
- (3) चूंकि उक्त नहर निर्माण कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है। अतः धारा 19 की उपधारा 2 के तहत सामाजिक समाधात स्कॉम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.Jabalpur.nic.in](http://www.Jabalpur.nic.in) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखा जा सकता है।

(5) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी इकाई क्र. एक बरगी हिल्स, जबलपुर एवं कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर, बांधी तट नहर संभाग क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।	(1)	(2)
	55/2ख	0.135
	55/2क	0.060
	55/3	0.026
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.	55/4 54/2 54/1	0.030 0.064 0.060

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	52	0.120
शहडोल, दिनांक 17 अक्टूबर 2017	66/1	0.130
	66/6	0.060

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 2.-अ-82-2016-17-3938.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	66/10	0.200
	67/2	0.060
	67/3	0.072
	68	0.182
	100	0.170
	101	0.099
	102	0.135
	103	0.052
	95	0.086
(1) भूमि का विवरण—	93	0.043
(क) जिला—शहडोल	94	0.053
(ख) तहसील—ब्यौहारी	194	0.078
(ग) ग्राम—भमरहा प्रथम		
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(निजी भूमि) 3.087 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.	योग . .	3.087

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
10/1ग	0.368
10/1घ	0.368
20	0.072
16/1	0.056
55/1क	0.086
55/1ख	0.087
55/1ग	0.135

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दुधरिया जलाशय योजना के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 3-अ-82-2016-17-3939.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—		(1)	(2)
(क) जिला—शहडोल	3725	0.030	
(ख) तहसील—ब्यौहारी	3726	0.054	
(ग) ग्राम—आखेटपुर	2032	0.024	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(निजी भूमि) 3.078 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.	2033	0.054	
खसरा	रकबा		
नम्बर	(हेक्टर में)		
(1)	(2)		
3989/2	0.360	2027	0.024
4006	0.144	2047/2	0.137
3990/1	0.078	2046	0.105
3191/2	0.120	2055	0.012
3988/3	0.054	2056/1	0.015
3705	0.036	2056/2	0.015
3706	0.105	3733/2	0.030
3708/2	0.018	3733/1	0.030
3709/5	0.068	2062	0.036
3709/2	0.068	2060	0.060
3709/7	0.047	2067	0.036
3709/6क	0.068	2097	0.120
3709/4	0.068	2059/1	0.018
3709/1	0.068	2098	0.048
3715	0.150	2092	0.030
3714	0.020	2109	0.120
3717	0.018		योग . . 3.078
3718	0.018		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दुधरिया जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
3791	0.051		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी एवं कार्यपालन चंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
3728	0.051		
3724	0.180		
2037/3	0.036		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
2037/1	0.068		नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.